खण्ड-437, अंक-1
मंगलवार, 29 फाल्गुन, शक संवत् 1922
(20 मार्च, 2001 ई0)

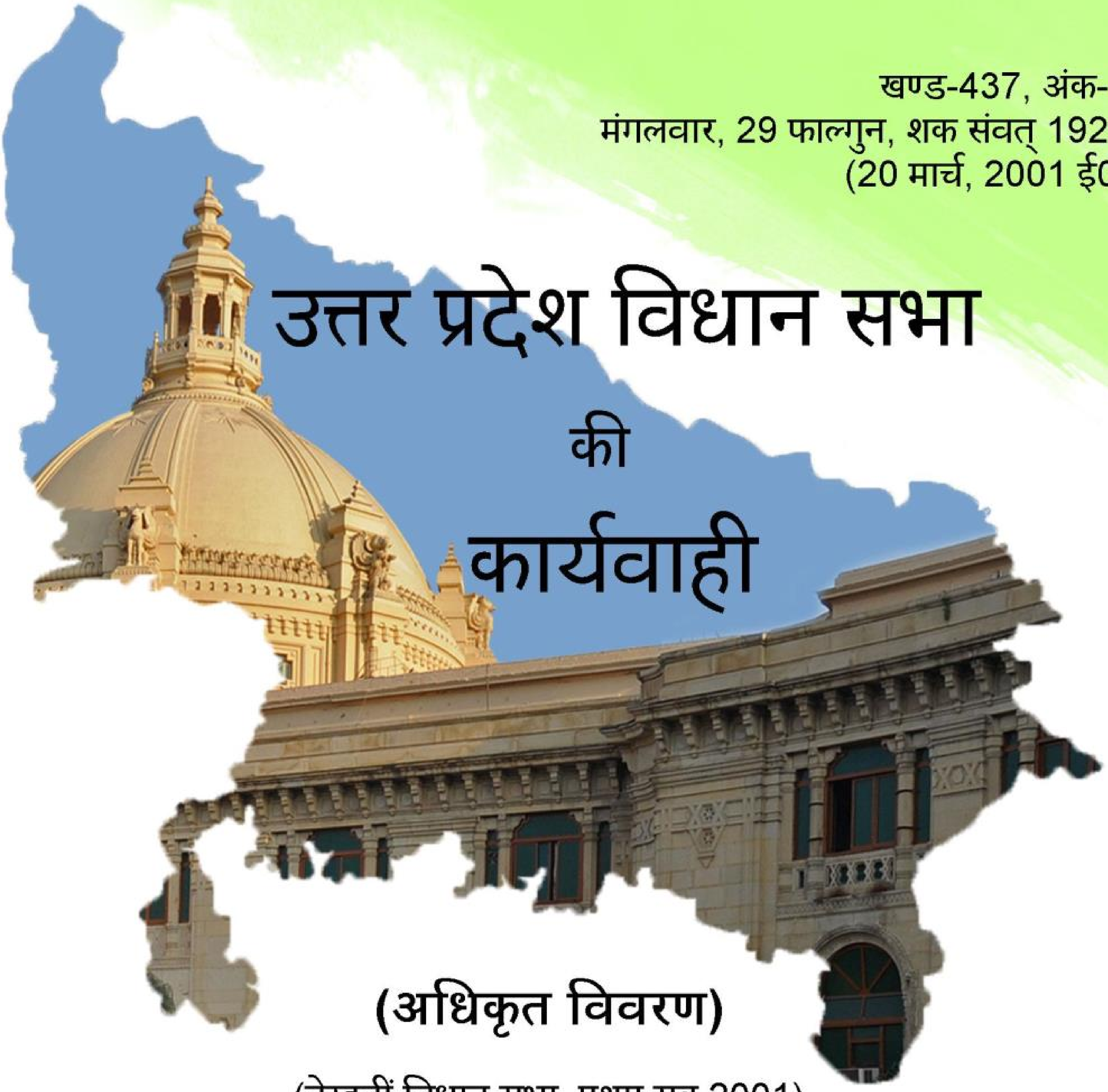

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2001)

खण्ड 437 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2001

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
विधान सभा के सदस्यों की सूची, महामहिम श्री राज्यपाल, मंत्रि-परिषद्, नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल की सूची	क-ठ
उपस्थित सदस्य	ण
राष्ट्रीय–गीत	1
श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ	1–32
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 2000 (सदन के पटल पर रखा गया)	32
भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2000 (सदन के पटल पर रखा गया)	32
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 2000 (सदन के पटल पर रखा गया)	32
उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (सदन के पटल पर रखा गया)	33
उत्तर प्रदेश व्यापार-कर (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (सदन के पटल पर रखा गया)	33
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (आप्टिकल फाइबर बिछाने और उनका अनुरक्षण करने के लिये अनुमति) अध्यादेश, 2001 (सदन के पटल पर रखा गया) ...	33
उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (सदन के पटल पर रखा गया) ...	33
उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (सदन के पटल पर रखा गया)	33
उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (सदन के पटल पर रखा गया)	33
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 2001 ..... (सदन के पटल पर रखा गया)	33
उत्तर प्रदेश व्यापार-कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2001 ..... (सदन के पटल पर रखा गया)	34
उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अध्यादेश, 2001 ..... (सदन के पटल पर रखा गया)	34
उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 2001 ..... (सदन के पटल पर रखा गया)	34
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का, वित्त लेखे वर्ष 1999-2000, उत्तर प्रदेश सरकार तथा विनियोग लेखे वर्ष 1999-2000 उत्तर प्रदेश सरकार ..... (सदन के पटल पर रखा गया)	34

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2000 ..... (सदन के पटल पर रखा गया)	34
उत्तर प्रदेश विनियोग (2000-2001 का अनुपूरक) विधेयक, 2000 ..... (श्री राज्यपाल की अनुमति की सूचना)	34
उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित-कूड़ा कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) विधेयक, 2000 ..... (श्री राज्यपाल की अनुमति की सूचना)	35
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000 ..... (श्री राज्यपाल की अनुमति की सूचना)	35
उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (निरसन) विधेयक, 2000 ..... (श्री राज्यपाल की अनुमति की सूचना)	35
उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् विधेयक, 2000 ..... (श्री राज्यपाल की अनुमति की सूचना)	35
उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2000 ..... (श्री राज्यपाल की अनुमति की सूचना)	35–36
उत्तर प्रदेश जूनियर हाईस्कूल (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) विधेयक, 2000 ..... (श्री राज्यपाल की अनुमति की सूचना)	36
उत्तर प्रदेश व्यापार-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000 ..... (श्री राज्यपाल की अनुमति की सूचना)	36
दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1999 ..... (श्री राज्यपाल की अनुमति की सूचना)	36
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव ..... (स्वीकृत)	36–38
भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001 ..... (पुरःस्थापित) ...	38
उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2001 ..... (पुरःस्थापित)	38–49
वित्तीय वर्ष 2000-2001 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण ..... (प्रस्तुत)	49

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची)

1–अब्दुल सलाम, श्री	प्रतापगढ़
2–अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद
3–अक्षयवर लाल, श्री	बहराइच
4–अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
5–अजय कुमार पोइया, श्री	मथुरा
6–अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा
7–अजय राय, श्री	वाराणसी
8–अजित कुमार मेहरोत्रा, श्री	सीतापुर
9–अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
10–अतुल कुमार, श्री	मेरठ
11–अनिल कुमार, श्री	बलिया
12–अनिल कुमार यादव, श्री	मैनपुरी
13–अनीस खां, श्री	पीलीभीत
14–अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर
15–अफजाल अहमद, श्री	जौनपुर
16–अफरोज अली खां, श्री	रामपुर
17–अब्दुल कलाम, श्री	बस्ती
18–अब्दुल कलाम, श्री	वाराणसी
19–अब्दुल खालिक, श्री	अलीगढ़
20–अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
21–अमर मणि, श्री	महराजगंज
22–अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ
23–अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
24–अम्मार रिजवी, डा०	सीतापुर
25–अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
26–अरविन्द कुमार जैन, श्री	ललितपुर
27–अरविन्द गिरि, श्री	खीरी
28–अरिमर्दन सिंह, श्री	महोबा
29–अरुण प्रताप सिंह, श्री	सुल्तानपुर
30–अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच
31–अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
32–अशफाक अहमद, श्री	बरेली
33–अशोक कुमार, श्री	जौनपुर
34–अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
35–अशोक बाजपेयी, डा०	हरदोई
36–अशोक यादव, श्री	फिरोजाबाद
37–आचार्य रामदेव वैश्य, श्री	बाराबंकी
38–आनन्द प्रकाश, श्री	पडरौना
39–आर० के० चौधरी, श्री	लखनऊ
40–आर०के० सिंह पटेल, श्री	बांदा
41–आलमबदी, श्री	आजमगढ़
42–इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
43–इन्द्रजीत सरोज, श्री	इलाहाबाद
44–इन्द्रदेव सिंह, डा०	बिजनौर
45–इलम सिंह, श्री	सहारनपुर
46–उदय राज यादव, श्री	उन्नाव
47–उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर
48–उर्मिला देवी, श्रीमती	मैनपुरी
49–उवैदुर्रहमान, श्री	गोण्डा
50–ओइमूयेश, स्वामी	बिजनौर
51–ओमकार सिंह, श्री	बदायूं
52–ओम प्रकाश, श्री	एटा
53–ओम प्रकाश गुप्त, श्री	सीतापुर
54–ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
55–कमला प्रसाद रावत, श्री	बाराबंकी
56–कमलेश कुमार सिंह, श्री	बलरामपुर
57–कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़
58–काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री	रामपुर
59–कासिम हसन, श्री	फतेहपुर
60–काशीनाथ, श्री	सुल्तानपुर
61–काशी राम, श्री	रामपुर
62–किशन लाल बघेल, सेठ	आगरा
63–कृष्ण शंकर सिंह, श्री	उन्नाव
64–कृष्ण पाल सिंह, श्री	कानपुर देहात
65–कृष्णा राज, श्रीमती	खीरी
66–केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
67–केशो मेहरा, श्री	आगरा
68–कैलाश, श्री	गाजीपुर
69–कैलाश सिंह राजपूत, श्री	फर्रुखाबाद
70–कोविद कुमार, श्री	शाहजहांपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

71–कौकब हमीद, श्री — मेरठ
72–कौशल किशोर, डा० — खीरी
73 गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री — आगरा
74 गंगा बख्श सिंह, श्री — उन्नाव
75–गंगा सिंह चौहान, श्री — हरदोई
76–गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री — मेरठ
77 गणेश राजभर, श्री — गाजीपुर
78 गुलाब देवी, श्रीमती — मुरादाबाद
79–गोपाल कृष्ण, श्री — पीलीभीत
80–गोमती यादव, श्री — लखनऊ
81–गोरखनाथ पाण्डेय, श्री — भदोही
82–गौरी देवी, श्रीमती — गोरखपुर
83–गौरी शंकर एडवोकेट, श्री — लखनऊ
84–चन्द्र किशोर, श्री — महराजगंज
85–चन्द्र पाल सिंह यादव, श्री — झांसी
86 चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री — बहराइच
87–चन्द्रेश पासवान, श्री — गोरखपुर
88–चेतराम, श्री — शाहजहांपुर
89 चौधरी नरेन्द्र सिंह, श्री — कानपुर देहात
90 चौधरी बाबू लाल, श्री — आगरा
91–चौधरी मस्तराम, श्री — उन्नाव
92–चौधरी लक्ष्मी नारायण, श्री — मथुरा
93 छब्बू पटेल, श्री — वाराणसी
94 छोटे लाल गंगवार, मास्टर — बरेली
95–छोटे लाल राजभर, श्री — बलिया
96–छोटे लाल वर्मा, डा० — महोबा
97 छोटे सिंह यादव, श्री — फर्रुखाबाद
98 जगपाल, श्री — सहारनपुर
99–जगत पाल सिंह, मेजर — मुरादाबाद
100–जगत सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
101 जगदम्बिका पाल, श्री — बस्ती
102–जगदीश नारायण राय, श्री — जौनपुर
103–जगदीश सिंह राणा, श्री — सहारनपुर
104–जगन प्रसाद गर्ग, श्री — आगरा
105 जटा शंकर, श्री — बहराइच
106 जन्मेजय सिंह, श्री — देवरिया
107–जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री — फर्रुखाबाद
108–जय नारायन तिवारी, श्री — सुल्तानपुर
109–जयपाल सिंह, श्री — मेरठ
110–जय प्रकाश, श्री — गाजियाबाद
111 जय प्रकाश निषाद, श्री — देवरिया
112 जय प्रताप सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
113–जयवीर सिंह भदौरिया, श्री — इटावा
114–जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइय्या, श्री — गोरखपुर
115–जोखू लाल यादव, श्री — इलाहाबाद
116–ज्ञानवती सिंह, डा० — अलीगढ़
117–ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री — महराजगंज
118 ज्वाला प्रसाद यादव, श्री — जौनपुर
119 तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल, श्री — गोरखपुर
120–तेजभान सिंह, श्री — सुल्तानपुर
121–तोताराम, श्री — मुरादाबाद
122 तौफीक अहमद, श्री — सिद्धार्थनगर
123 दद्दू प्रसाद, श्री — बांदा
124–दयाशंकर, श्री — जालौन
125–दल बहादुर कोरी, श्री — रायबरेली
126 दलवीर सिंह, श्री — अलीगढ़
127–दिलीप कुमार, श्री — बहराइच
128–दिवाकर विक्रम सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
129–दीप लाल भारती, श्री — पडरौना
130 दुर्गा प्रसाद यादव, श्री — आजमगढ़
131 देवेन्द्र प्रताप, श्री — एटा
132–देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह, श्री — कानपुर देहात
133–धनराज यादव, श्री — सिद्धार्थनगर
134–धनीराम वर्मा, श्री — इटावा
135–धर्मज्ञ मिश्र,डा० — हरदोई
136–धर्मपाल सिंह, श्री — बरेली
137 धर्मराज निषाद, श्री — अम्बेडकर नगर
138–नन्दराम, श्री — बरेली
139–नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा० — इलाहाबाद
140–नरेन्द्र सिंह, श्री — आजमगढ़
141–नरेन्द्र सिंह भाटी, श्री — बुलन्दशहर
142–नरेन्द्र सिंह यादव, श्री — फर्रुखाबाद
143–नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, श्री — गाजियाबाद
144–नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री — हरदोई

145 नवाब सिंह नागर, श्री गाजियाबाद
146 नीरज चतुर्वेदी, श्री कानपुर नगर
147 नेतराम सिंह, श्री एटा
148–"पटेल" रामकुमार वर्मा, श्री खीरी
149–परवेज हलीम खां, श्री मेरठ
150–पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित सदस्य
151 पीतम राम, श्री पीलीभीत
152 पूरन सिंह बुन्देला, श्री ललितपुर
153 पूर्णमासी पंकज, डा० भदोही
154–प्रदीप कुमार, श्री मुजफ्फरनगर
155–प्रदीप कुमार, श्री सहारनपुर
156–प्रदीप कुमार यादव, श्री इटावा
157 प्रभा द्विवेदी, श्रीमती फर्रुखाबाद
158 प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री वाराणसी
159 प्रमोद कुमार, श्री प्रतापगढ़
160–प्रेम पाल सिंह यादव, श्री बदायूं
161–प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
162–प्रेम लता कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
163 प्रेम स्वरूप पाठक, श्री बदायूं
164 फतेह बहादुर, श्री महराजगंज
165 फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
166–फागू, श्री मऊ
167–बंश नारायण सिंह, श्री भदोही
168–बचनूराम पटेल, श्री वाराणसी
169 बच्चा पाठक, श्री बलिया
170 बनवारी लाल दोहरे, श्री फर्रुखाबाद
171 बांके लाल सोनकर, श्री जौनपुर
172–बादशाह सिंह, श्री हमीरपुर
173–बाबू खां, श्री हरदोई
174–बाबू राम, श्री जालौन
175 बाबू लाल कुरील, श्री उन्नाव
176 बाबू लाल कुशवाहा, श्री बांदा
177–बाल चन्द्र मिश्र, श्री कानपुर नगर
178–बालेश्वर त्यागी, श्री गाजियाबाद
179–बावन सिंह, श्री गोण्डा
180–बिजेन्द्र आर्य, श्री मुजफ्फरनगर
181 बिन्दु लाल, श्री गोण्डा
182 बिहारी लाल आर्य, श्री झांसी
183 बी० आर० वर्मा, श्री जौनपुर
184–बी० के० गुप्ता, श्री पीलीभीत
185–बुनियाद हुसैन अंसारी, श्री सीतापुर
186 बेचन राम, श्री गोरखपुर
187 ब्रजेन्द्र पाल सिंह, श्री मुरादाबाद
188 भगवती प्रसाद, श्री कानपुर देहात
189–भगवान सिंह शाक्य, श्री बदायूं
190–भरत सिंह, श्री बलिया
191–भाई लाल, श्री मिर्जापुर
192–भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकर नगर
193 भोनू राम सोनकर, श्री गाजीपुर
194 भोला शंकर मौर्य, श्री बदायूं
195–मंगल सिंह सैनी, श्री मुरादाबाद
196–मंजू, श्रीमती बलिया
197–मंडलेश्वर सिंह, श्री आगरा
198 मनेश चन्द्र सोनकर, श्री इलाहाबाद
199 मथुरा प्रसाद, श्री कानपुर देहात
200 मलखान सिंह, श्री अलीगढ़
201–महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
202–महेन्द्र कुमार, श्री बुलन्दशहर
203–महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
204 महेन्द्र नाथ पाण्डेय, डा० वाराणसी
205 महेन्द्र प्रसाद निषाद, श्री बांदा
206–महेन्द्र सिंह यादव, श्री बुलन्दशहर
207–मानिक चन्द यादव, श्री मैनपुरी
208–माया प्रसाद, श्रीमती खीरी
209 मारकण्डेय चन्द, श्री गोरखपुर
210 मिथिलेश कुमारी, श्रीमती एटा
211 मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
212–मुन्ना लाल मौर्य, श्री फतेहपुर
213–मुरलीधर, श्री फतेहपुर
214–मुराद लारी, श्री देवरिया
215 मुस्ताक सोलंकी, श्री कानपुर नगर
216 मुस्लिम, डा० रायबरेली
217 मुहर सिंह अम्बाडी, श्री इटावा
218–मूल चन्द, श्री बिजनौर
219 मोती लाल, श्री खीरी
220–मोहम्मद मुकीम, श्री सिद्धार्थनगर
221 यशपाल सिंह चौहान, श्री अलीगढ़
222 यशवन्त, श्री आजमगढ़
223 योगेन्द्र कुमार, श्री बदायूं
224–योगेन्द्र सिंह सेंगर, श्री देवरिया
225 रंगनाथ मिश्र, श्री भदोही

226-रंग बहादुर पटेल, श्री — इलाहाबाद
227-रघुराज प्रताप सिंह "राजा भईया", कुंवर — प्रतापगढ़
228-रघुवर दयाल वर्मा, श्री — फिरोजाबाद
229-रज्जन पाल सिंह, श्री — एटा
230-रणधीर सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
231-रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर — पडरौना
232-रमापति शास्त्री, श्री — गोण्डा
233-रमेश राही, श्री — सीतापुर
234-रवीन्द्र पुण्डीर, प्रो० — मेरठ
235-रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
236-रवीन्द्र शुक्ला, श्री — झांसी
237-राकेश त्यागी, श्री — बुलन्दशहर
238-राकेश धर त्रिपाठी, श्री — इलाहाबाद
239-राकेश सोनकर, श्री — कानपुर नगर
240-राघव, श्री — सहारनपुर
241-राजधारी, श्री — बलिया
242-राजपाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
243-राजपाल सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
244-राजा गज़नफर अली खां, श्री — बिजनौर
245-राजा राम पाण्डेय, श्री — प्रतापगढ़
246-राजाराम पाल, श्री — कानपुर देहात
247-राजीव कुमार सिंह, श्री — बाराबंकी
248-राजेन्द्र यादव, श्री — गाजीपुर
249-राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री — प्रतापगढ़
250-राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री — फतेहपुर
251-राजेश अग्रवाल, श्री — बरेली
252-राजेश कुमार सिंह, श्री — मुरादाबाद
253-राधेश्याम, श्री — कानपुर देहात
254-राधेश्याम गुप्त, श्री — फतेहपुर
255-राधेश्याम जायसवाल, श्री — सीतापुर
256-राधेश्याम सिंह, श्री — पडरौना
257-राम अचल राजभर, श्री — अम्बेडकर नगर
258-राम अवतार मिश्र, श्री — शाहजहांपुर
259-राम आसरे पासवान, श्री — बस्ती
260-राम आसरे सिंह कुशवाहा, डा० — कानपुर नगर
261-राम औतार शाक्य, श्री — मैनपुरी
262-राम कुमार एडवोकेट, श्री — उन्नाव
263-राम कृपाल, श्री — इलाहाबाद
264-राम खिलाड़ी, श्री — बदायूं
265-राम चन्द्र मौर्य, श्री — मिर्जापुर
266-राम चन्द्र यादव, श्री — फैजाबाद
267-रामजग, श्री — आजमगढ़
268-रामतेज यादव एडवोकेट, श्री — बहराइच
269-राम नक्षत्र, श्री — पडरौना
270-राम नरेश रावत, श्री — गाजियाबाद
271-राम नरेश यादव, श्री — आजमगढ़
272-राम नाथ, श्री — प्रतापगढ़
273-रामपाल राजवंशी, श्री — सीतापुर
274-रामपाल वर्मा, श्री — हरदोई
275-राम पाल सिंह, श्री — गोण्डा
276-राम प्यारे सिंह, श्री — आजमगढ़
277-राम प्रताप सिंह, श्री — गोण्डा
278-राम प्रसाद चौधरी, श्री — बस्ती
279-राम बाबू हरित, डा० — आगरा
280-राम रतन यादव, श्री — सुल्तानपुर
281-राम लखन, श्री — सुल्तानपुर
282-राम ललित चौधरी, श्री — बस्ती
283-राम विशुन आजाद, श्री — गोण्डा
284-रामवीर उपाध्याय, श्री — अलीगढ़
285-रामवीर सिंह, श्री — फिरोजाबाद
286-राम शंकर पाल, श्री — उन्नाव
287-राम सखी, श्रीमती — अलीगढ़
288-राम सिंह, डा० — अलीगढ़
289-राम सिंह, श्री — बुलन्दशहर
290-राम सेवक सिंह, श्री — इलाहाबाद
291-राम सेवक सिंह, श्री — बदायूं
292-राम स्वरूप शर्मा, श्री — मथुरा
293-राम स्वरूप सिंह, श्री — बिजनौर
294-राम हर्ष सिंह, श्री — सुल्तानपुर
295-रामाधार सिंह, श्री — हमीरपुर
296-रामेश्वर दयाल वाल्मीकि, श्री — मैनपुरी
297-रामेश्वर सिंह यादव, श्री — एटा
298-रिफाकत हुसैन चौधरी, श्री — मुरादाबाद

299-रूप चौधरी, श्री — मेरठ
300 रेवती रमण सिंह उर्फ "मणि", कुंवर — इलाहाबाद
301-लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा० — मेरठ
302 लल्लू सिंह, श्री — फैजाबाद
303 लवकुश कुमार, श्री — बिजनौर
304-लालजी टण्डन, श्री — लखनऊ
305-लालजी वर्मा, श्री — अम्बेडकरनगर
306 लालमणि प्रसाद, श्री — बस्ती
307-लाल सिंह वर्मा, श्री — इटावा
308-लोकपति त्रिपाठी, श्री — मिर्जापुर
309-वकार अहमद शाह, डा० — बहराइच
310 वसीम अहमद, श्री — आजमगढ़
311-बहोरन लाल मौर्य, श्री — बरेली
312-विक्रमाजीत मौर्य, श्री — इलाहाबाद
313-विजमा यादव, श्रीमती — इलाहाबाद
314 विजय कुमार, श्री — गाजीपुर
315 विजय पाल सिंह, श्री — आगरा
316-विजय प्रकाश, श्री — इलाहाबाद
317-विजय सिंह, श्री — सोनभद्र
318 विद्या सागर गुप्ता, श्री — लखनऊ
319 विनय कुमार पाण्डेय "बिन्नू", श्री — गोण्डा
320-विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, श्री — गोण्डा
321 विनोद मणि, श्री — महराजगंज
322 विभूति प्रसाद निषाद, श्री — आजमगढ़
323-वीरेन्द्र सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
324-वीरेन्द्र सिंह, श्री — वाराणसी
325 वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री — बुलन्दशहर
326 विवेक कुमार सिंह, श्री — बांदा
327-विश्वनाथ, श्री — पडरौना
328-वीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मुन्ना, श्री — शाहजहांपुर
329 वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री — एटा
330-वेद प्रकाश, श्री — बस्ती
331-वेद प्रकाश सिंह, एम०एस०, डा० — बिजनौर
332 शब्बीर अहमद, श्री — बहराइच
333 शरदवीर सिंह, श्री — शाहजहांपुर
334 शिव गणेश लोधी एडवोकेट, श्री — रायबरेली
335 शिव चरन प्रजापति, श्री — हमीरपुर
336-शिव पाल सिंह यादव, श्री — इटावा
337-शिव पूजन राम, श्री — वाराणसी
338 शिव प्रताप शुक्ल, श्री — गोरखपुर
339 शिव प्रसाद, श्री — हरदोई
340-शिव बहादुर सक्सेना, श्री — रामपुर
341-शिव शंकर, श्री — बांदा
342 शिव सिंह चक, श्री — फिरोजाबाद
343 शिवाकान्त, श्री — प्रतापगढ़
344-शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री — महराजगंज
345 शिशुपाल सिंह यादव, श्री — एटा
346 शेर बहादुर, श्री — अम्बेडकर नगर
347-श्याम किशोर यादव, श्री — लखनऊ
348-श्याम देव राय चौधरी (दादा), श्री — वाराणसी
349 श्याम प्रकाश, श्री — हरदोई
350 श्याम लाल रावत, श्री — सीतापुर
351-श्याम सुन्दर, श्री — रायबरेली
352-श्याम सुन्दर शर्मा, श्री — मथुरा
353 श्रीराम, श्री — मऊ
354 श्रीराम पाल, श्री — जालौन
355-श्रीराम यादव, श्री — जौनपुर
356-संग्राम सिंह, श्री — बाराबंकी
357 संजय गर्ग, श्री — सहारनपुर
358 संजय सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
359-संदीप अग्रवाल, श्री — मुरादाबाद
360-सतीश जतारिया, श्री — झांसी
361 सतीश महाना, श्री — कानपुर नगर
362 सतीश शर्मा, श्री — बुलन्दशहर
363-सत्य प्रकाश सोनकर, श्री — वाराणसी
364-सन्त, श्री — गोरखपुर
365 सन्त राम सिंह, श्री — जालौन
366 समरपाल सिंह, श्री — मेरठ
367-सरजीत सिंह पंग, डा० — मिर्जापुर
368-संरदार सिंह, श्री — मथुरा
369 सरवर अली खां, श्री — बाराबंकी
370 सरस्वती प्रताप सिंह, श्री — खीरी

371–सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुंवर — मुरादाबाद
372–सिंहासन सिंह, श्री — गाजीपुर
373–सीताराम निषाद, श्री — फैजाबाद
374–सीमा द्विवेदी, श्रीमती — जौनपुर
375–सुखदेवी वर्मा, श्रीमती — इटावा
376–सुखपाल पाण्डेय, श्री — बस्ती
377–सुखवीर सिंह पुण्डीर, श्री — सहारनपुर
378–सुधाकर सिंह, श्री — मऊ
379–सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री — देवरिया
380–सुमन लता सिंह, श्रीमती — बरेली
381–सुरेन्द्र नाथ अवस्थी, श्री — बाराबंकी
382–सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री — बरेली
383–सुरेश कुमार खन्ना, श्री — शाहजहांपुर
384–सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री — लखनऊ
385–सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री — लखनऊ
486–सुशील शाक्य, श्री — फर्रुखाबाद
387–सुशीला अग्रवाल, श्रीमती — मुजफ्फरनगर
388–सूर्य प्रताप शाही, श्री — देवरिया
389–सूर्य भान सिंह, श्री — सुल्तानपुर
390–सौलत अली एडवोकेट, श्री — मुरादाबाद
391–स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री — रायबरेली
392–हरदेव सिंह, श्री — बाराबंकी
393–हरपाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
394–हरिनारायण, श्री — बलिया
395–हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री — सोनभद्र
396–हरि शंकर तिवारी, श्री — गोरखपुर
397–हरि शंकर माहौर, श्री — अलीगढ़
398–हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी", श्री — वाराणसी
399–हरीश चन्द्र गंगवार, श्री — बरेली
400–हीरालाल गौतम, श्री — आजमगढ़
401–हुकुम सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
402–होराम सिंह, श्री — बुलन्दशहर
***403–रिक्त — हाथरस
***404–रिक्त — बाराबंकी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

महामहिम राज्यपाल

श्री विष्णुकान्त शास्त्री

मंत्रि-परिषद्

क्र०सं०	नाम	कार्य विभाग/पोर्टफोलियो
1	श्री राजनाथ सिंह (मुख्य मंत्री)	सामान्य प्रशासन, गृह, गोपन, नियुक्ति, कार्मिक, सूचना, निर्वाचन, विधायी, राज्य सम्पत्ति, नागरिक उड्डयन, औद्योगिक विकास, संस्कृति, पूर्त धर्मस्व एवं प्रोटोकाल ।
2	श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"	वित्त
3	श्री लालजी टण्डन	आवास, नगर विकास
4	श्री ओम प्रकाश सिंह	सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, उच्च शिक्षा, लोक निर्माण ।
5	श्री नरेश अग्रवाल	ऊर्जा
6	श्री दिवाकर विक्रम सिंह	कृषि
7	डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर	गन्ना विकास, चिकित्सा शिक्षा
8	चौधरी नरेन्द्र सिंह	खाद्य एवं रसद ।
9	श्री रमापति शास्त्री	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा
10	श्री मारकण्डेय चन्द	लघु सिंचाई, ग्रामीण अभियंत्रण ।
11	श्री राजधारी सिंह	वन
12	डा० नैपाल सिंह	माध्यमिक शिक्षा, भाषा ।
13	श्री सूर्य प्रताप शाही	आबकारी
14	श्री "पटेल" राम कुमार वर्मा	सहकारिता
15	श्रीमती प्रेमलता कटियार	समाज कल्याण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र०सं० नाम	कार्य विभाग/पोर्ट फोलियो
16 श्रीमती प्रभा द्विवेदी	महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार प्राविधिक शिक्षा ।
17 श्री सरदार सिंह	मातृ एवं शिशु कल्याण, परिवार कल्याण ।
18 श्री राधेश्याम गुप्ता	न्याय
19 श्री बाबू राम, एम०काम०	संस्थागत वित्त एवं व्यापार कर ।
20 श्री हुकुम सिंह	संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर ।
21 श्री शिव प्रताप शुक्ल	ग्राम्य विकास
22 श्री बच्चा पाठक	पर्यावरण, अनिरस्त ऊर्जा ।
23 श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही	राजस्व
24 श्री हरिशंकर तिवारी	वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग
25 श्री मण्डलेश्वर सिंह	भूमि विकास एवं जल संसाधन परती भूमि विकास ।
26 राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह	परिवहन
27 चौधरी लक्ष्मी नारायण	कारागार
28 श्री श्याम सुन्दर शर्मा	होमगार्ड्स, राजनैतिक पेंशन, नागरिक सुरक्षा ।
29 श्री धनराज यादव	उद्यान
30 श्री शिवाकान्त ओझा	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स ।
31 श्री सरस्वती प्रताप सिंह	लघु उद्योग
32 श्री फागू चौहान	पशुधन एवं मत्स्य
33 श्री राजाराम पाण्डेय	खादी एवं ग्रामीण उद्योग
34 कुंवर रघुराज प्रताप सिंह	खेलकूद, युवा कल्याण, प्रान्तीय विकास दल ।
35 श्री जय नरायन तिवारी	सार्वजनिक उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

क्र०सं० नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1 श्री महेन्द्र नाथ पाण्डेय	पंचायती राज
2 श्री धर्मपाल सिंह	श्रम
3 श्री जयपाल सिंह	दुग्ध विकास
4 श्री अशोक यादव	पर्यटन
5 श्री राधेश्याम	अम्बेडकर ग्राम विकास एवं संवायोजन ।
6 श्री राजा गजनफर अली	अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज ।
7 श्री बालेश्वर त्यागी	बेसिक शिक्षा
8 श्री भगवान सिंह शाक्य	राष्ट्रीय एकीकरण एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन ।
9 श्री सुरेश कुमार खन्ना	नियोजन

राज्य मंत्री

क्र०सं० नाम	विभाग या विषय
1 श्री सुखपाल पाण्डेय	परिवहन
2 श्री शिवेन्द्र सिंह	आवास
3 श्री रंगनाथ मिश्र	गृह
4 श्री मंगल सिंह सैनी	सिंचाई
5 श्री सतीश शर्मा	ऊर्जा
6 श्री राम प्रसाद कमल	लोक निर्माण
7 श्री राकेश त्यागी	सहकारिता
8 श्री सतीश महाना	नगर विकास

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र०सं०	नाम	विभाग या विषय
9	श्री शिव शंकर सिंह	सिंचाई
10	श्री राकेश धर त्रिपाठी	लोक निर्माण
11	श्री लल्लू सिंह	ऊर्जा
12	श्री बीरेन्द्र सिंह	परिवहन
13	श्री विवेक कुमार सिंह	कृषि
14	श्री संग्राम सिंह	कृषि
15	श्री वंश नारायण पटेल	खाद्य एवं रसद
16	श्री फतेह बहादुर सिंह	औद्योगिक विकास
17	श्री हरि नारायण राजभर	ग्रामीण अभियंत्रण एवं लघु सिंचाई ।
18	डा० राम बाबू हरित	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा
19	श्री राम आसरे पासवान	लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण
20	श्री राजेन्द्र सिंह पटेल	ग्राम्य विकास
21	श्री चन्द्र किशोर	माध्यमिक शिक्षा, भाषा
22	श्री यशवन्त सिंह	आबकारी
23	श्री दलवीर सिंह	गन्ना विकास
24	श्री रामचन्द्र बाल्मीकी	गन्ना विकास
25	श्री दल बहादुर कोरी	समाज कल्याण
26	श्री विक्रमाजीत मौर्य	ऊर्जा
27	सुश्री डा० शीमा रिजवी	चिकित्सा शिक्षा
28	श्रीमती गुलाब देवी	महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार ।
29	श्री गंगा बख्श सिंह	संस्थागत वित्त एवं व्यापार कर
30	श्री राम आसरे कुशवाहा	वन
31	श्री रामपाल राजवंशी	पर्यावरण, अतिरिक्त ऊर्जा
32	श्री बहोरन लाल मौर्य	राजस्व
33	श्री बिहारी लाल आर्य	खाद्य एवं रसद
34	श्री राम लखन पासी	समाज कल्याण
35	श्री श्रीराम सोनकर	संस्कृति एवं पूर्त धर्मस्व
36	श्री विनय कुमार पाण्डेय	कारागार
37	श्री वेद प्रकाश	होमगार्ड्स, राजनैतिक पेंशन, नागरिक सुरक्षा ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र०सं०	नाम	विभाग या विषय
38	डा० अरविन्द कुमार जैन	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा
39	श्री अमरमणि त्रिपाठी	संस्थागत वित्त एवं व्यापार कर
40	श्री प्रेम प्रकाश सिंह	सहकारिता
41	श्री जितेन्द्र कुमार जायसवाल	खेलकूद, युवा कल्याण, प्रान्तीय विकास दल ।
42	श्री मुन्ना लाल मौर्य	खाद्य एवं रसद

नेता विरोधी दल

श्री धनीराम वर्मा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी

उपाध्यक्ष

रिक्त

सचिव

श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय

अधिष्ठाता मण्डल

1-डा० सरजीत सिंह डंग, सदस्य, विधान सभा (मिर्जापुर),

2-श्री बाल चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा (कानपुर देहात),

3-श्री रवीन्द्र शुक्ल, सदस्य, विधान सभा (झांसी),

4-डा० अशोक बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा (हरदोई),

5-श्री लालजी वर्मा, सदस्य, विधान सभा (अम्बेडकर नगर),

6-डा० अम्मार रिजवी, सदस्य, विधान सभा (सीतापुर)

7-श्री वीरेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा (मुजफ्फरनगर),

8-श्री गौरी शंकर एडवोकेट, सदस्य, विधान सभा (लखनऊ),

9-चौ० मस्तराम, सदस्य, विधान सभा (उन्नाव),

10-श्री राम औतार शाक्य सदस्य, विधान सभा (मैनपुरी),

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

मंगलवार, दिनांक, 20 मार्च, 2001

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे ।

1–अतीक अहमद, श्री — इलाहाबाद
2–अब्दुल कलाम, श्री — वाराणसी
3–अब्दुल खालिक, श्री — अलीगढ़
4–अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
5–अशफाक अहमद, श्री — बरेली
6–अशोक यादव, श्री — फिरोजाबाद
7–आनन्द प्रकाश, श्री — पडरौना
8–ओम प्रकाश सिंह, श्री — मिर्जापुर
9–कल्याण सिंह, श्री — अलीगढ़
10–गणेश राजभर, श्री — गाजीपुर
11–चन्द्रेश पासवान, श्री — गोरखपुर
12–चौधरी नरेन्द्र सिंह, श्री — कानपुर देहात
13–चौधरी बाबू लाल, श्री — आगरा
14–जगत सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
15–जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री — फर्रुखाबाद
16–ददू प्रसाद, श्री — बांदा
17–दिवाकर विक्रम सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
18–नरेन्द्र सिंह यादव, श्री — फर्रुखाबाद
19–पूरन सिंह बुन्देला, श्री — ललितपुर
20–फतेह बहादुर, श्री — महराजगंज
21–फागू, श्री — मऊ
22–बादशाह सिंह, श्री — हमीरपुर
23–ब्रजेन्द्र पाल सिंह, श्री — मुरादाबाद
24–महेन्द्र सिंह यादव, श्री — बुलन्दशहर
25–मोती लाल, श्री — खीरी
26–रघुराज प्रताप सिंह "राजा भइया", कुंवर — प्रतापगढ़
27–रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर — पडरौना
28–रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
29–राजीव कुमार सिंह, श्री — बाराबंकी
30–राम कुमार एडवोकेट, श्री — उन्नाव
31–राम खिलाड़ी, श्री — बदायूं
32–राम चन्द्र यादव, श्री — फैजाबाद
33–राम नरेश रावत, श्री — गाजियाबाद
34–राम नाथ, श्री — प्रतापगढ़
35–रामपाल राजवंशी, श्री — सीतापुर
36–राम रतन यादव, श्री — सुल्तानपुर
37–रामवीर उपाध्याय, श्री — अलीगढ़
38–रूप चौधरी, श्री — मेरठ
39–लालजी टण्डन, श्री — लखनऊ
40–लालजी वर्मा, श्री — अम्बेडकरनगर
41–विजय सिंह, श्री — सोनभद्र
42–विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, श्री — गोण्डा
43–विनोद मणि, श्री — महराजगंज
44–वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री — एटा
45–संजय सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
46–संदीप अग्रवाल, श्री — मुरादाबाद
47–सन्त राम सिंह, श्री — जालौन
48–सरस्वती प्रताप सिंह, श्री — खीरी
49–हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री — सोनभद्र

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 12 बजकर 30 मिनट पर अध्यक्ष श्री केशरीनाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

राष्ट्रीय-गीत

श्री अध्यक्ष–

विधान सभा के वर्ष 2001 के पहले सत्र में आप सभी सदस्यों का स्वागत है और आज की कार्यवाही हम मद सं०–1 ''वन्दे मातरम्'' से प्रारम्भ करते हैं ।

वन्दे मातरम् ।
वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम् ।।
सुजलाम् ।
सुफलाम् ।
मलयज शीतलाम् ।
शस्य श्यामलाम् ।
मातरम् । वन्दे मातरम् ।।
शुभ्र–ज्योत्सना-पुलकित-यामिनीम्
फुल्ल-कुसुमित-द्रुमदल-शोभिनीम्
सुहासिनीम्
सुमधुर भाषिणीम्
सुखदाम्
वरदाम्
मातरम् । वन्दे मातरम् ।।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ

(श्री अध्यक्ष ने अभिभाषण को पढ़ना प्रारम्भ किया)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण, विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के नई सहस्राब्दि के प्रथम अधिवेशन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं .....

(श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि एवं श्री उदयराज यादव आदि विपक्ष के कई सदस्य वेल में आ गये और नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

[तथा अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं ।]

श्रद्धांजलि

विधान मण्डल के माननीय सदस्य, **श्री बनारसीदास चांदना, श्री निर्भय पाल शर्मा, श्री महाराज सिंह यादव** और **श्री विश्वम्भर सिंह** अब हमारे बीच नहीं रहे । मैं इन्हें श्रद्धा -पुष्प अर्पित करता हूं । इसके साथ ही मैं उन सभी ज्ञात और अज्ञात दिवंगतों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जो गुजरात में आये भूकम्प की विनाश लीला के शिकार हुए ।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

उत्तरांचल राज्य के गठन पर शुभकामनाएं

उत्तरांचल का गठन होने के कारण पिछले सत्र तक इन दोनो सदनो के कुछ माननीय सदस्य इस सत्र में हमारे साथ नहीं है । एक नये राज्य के नवगठित सदन के सर्वप्रथम सदस्य होने की ऐतिहासिक उपलब्धि के लिये मैं उन सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं । मुझे विश्वास है कि उनके प्रयास, संकल्प और कल्पनाशीलता के आधार पर उत्तरांचल राज्य प्रगति के नित नये सोपानो को पार करता हुआ एक आदर्श राज्य के रूप में विकसित होगा । मुझे यह भी विश्वास है कि दोनों राज्य परस्पर सहयोग से विकास की यात्रा में एक दूसरे के पूरक होकर देश की समृद्धि, एकता एवं अखण्डता को अक्षुण्ण रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे ।

सहस्त्राब्दि संदेश

माननीय सदस्यगण, यह असाधारण महत्व का ऐतिहासिक क्षण है, जिसके हम सभी भागीदार और साक्षी हैं । नई सहस्त्राब्दि से उद्भूत नवयुग का नया विहान हमसे अनेकशः नई अपेक्षायें रखता है । जहां एक ओर हमें नये सिरे से प्राथमिकताओं का निर्धारण कर नई व्यवस्था, नई कार्यशैली और एक नई, जनोन्मुखी, संवेदनशील कार्यसंस्कृति की पटकथा लिखनी है, वहीं दूसरी ओर हमें अपने महत्वपूर्ण अतीत से सबक लेकर अपनी आगामी विकास–यात्रा के लिये दिशा-निर्देश निर्धारित करने हैं । हम सबको मिलकर एक समृद्ध, सुशिक्षित और सुविकसित उत्तर प्रदेश के नवनिर्माण की आधारशिला रखनी है ।

आधुनिकीकरण एवं भारतीय संस्कृति में सामंजस्य

वैश्वीकरण और बाजारवाद के इस नये दौर में सूचना प्रौद्योगिकी की क्रान्ति ने हमारी **'वसुधैव कुटुम्बकम्'** की प्राचीन अवधारणा को मूर्त रुप देते हुए पूरे विश्व को ही एक गांव में बदल डाला है । इससे सांस्कृतिक आदान–प्रदान के अवसर तो बढ़े हैं, लेकिन इसके साथ ही अपसंस्कृति के प्रसार का खतरा भी बढ़ा है । समय के बदलाव के साथ नई व्यवस्थाएं अपनाने की अनिवार्यता को स्वीकार करते हुए मेरी सरकार जन कल्याण हेतु अपनी गौरवशाली सांस्कृतिक विरासतों, परम्पराओं तथा सार्वकालिक–सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों और आदर्शों को जीवित रखने के लिये दृढ़ प्रतिज्ञ है ।

हमारी दिशा हमारे लक्ष्य

उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है । आज भी प्रदेश की 75 प्रतिशत जनता गांवों में निवास करती है । अधिकांश लोग किसी न किसी रूप में कृषि पर ही निर्भर हैं । हमारी अवधारणा है कि जब हमारे किसान खुशहाल होंगे, तभी उद्योग पनपेंगे, व्यापारी के व्यापार बढ़ेंगे, डाक्टर की डाक्टरी चलेगी, वकील की वकालत चलेगी, संक्षेप में कहूं तो, समाज के सभी वर्ग खुशहाल रहेंगे । गांवों और किसानो का जीवन स्तर ऊंचा उठाये बिना प्रदेश की खुहाहाली का स्वप्न साकार नहीं किया जा सकता । इसलिये उत्तर प्रदेश को एक आदर्श राज्य के रुप में विकसित करने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये मेरी सरकार ने गांव और किसान को अपनी विकास योजनाओं का केन्द्र बिन्दु बनाया है ।

निर्माण या परिवर्तन की कोई प्रक्रिया व्यापक पैमाने पर तब तक स्वीकार्य और सफल नहीं हो सकती, जब तक इसमें समाज के सभी वर्गो की भागीदारी न हो और वह सबके लिये लाभकारी न हो । यह सचमुच बहुत दुःख है कि विगत लम्बे समय से प्रदेश को जाति, समुदाय आदि के नाम पर बांटने का प्रयास किया गया । योजनायें तो बनाई गई, लेकिन केवल कुछ जातियों और समुदायों को

लुभाने क लिये । इससे कुछ लोगो को भले ही कुछ समय के लिये थोड़ा बहुत लाभ हो जाये पर समाज को दूरगामी क्षति उठानी पड़ती है । मेरी सरकार पूरी निष्ठा से समाज के सभी वर्गो को विश्वास में लेकर उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ते हुए सबकी सहभागिता से पूरे समाज और प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिये तत्पर है ।

साधा संवाद

जनतंत्र में जनसेवा का विशेष महत्व है । मेरी सरकार ने जनसेवा के दायित्वों के सम्यक् निर्वहन के लिये **समाज के सभी वर्गो के साथ सीधा संवाद** स्थापित कर उनकी समस्याओं को समझने तथा बिना दूसरे के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले शीघ्रता से सुलझाने का प्रयास किया है । मेरी सरकार की नजर में कोई ऊंच नीच नहीं है न कोई अगड़ा या पिछड़ा है, न कोई हिन्दू या मुसलमान है, यदि वह कुछ है तो इन्सान है । इसी अवधारणा से प्रेरित होकर, जिन्हें कल तक उपेक्षित समझकर तिरस्कार के भाव से देखा जाता था, उनके लिये भी मुख्य मंत्री आवास के दरवाजे खोल दिये गये । उनके साथ आमने-सामने बैठकर सरकार ने उनकी समस्याओं को समझने की ऐतिहासिक पहल की । फलस्वरूप जनहित के कुछ ऐसे अत्यन्त महत्वपूर्ण निर्णय, जिन्हें लेने में जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण पहले काफी लम्बा समय लगता था, अब शीघ्र लेना संभव हो सका ।

हमारे मूल मंत्र

मेरी सरकार का दृढ़ संकल्प है कि प्रदेश के **प्रत्येक नागरिक के मान, सम्मान और स्वाभिमान की सुरक्षा** की जाये । सरकार ने इसे अपने कार्य और आचरण से प्रमाणित भी किया है । इंसाफ एवं इंसानियत तथा पारदर्शी नीति एवं साफ नीयत के आधार पर त्वरित रुप से लिये गये फैसलो से मेरी सरकार पर जनता का विश्वास दृढ हुआ है और इसे जनता का भरपूर सहयोग भी मिल रहा है । मेरी सरकार की प्रतिपल यह कोशिश है कि :–

नये फैसले हों नयी कोशिशें हों,

नयी मंजिलो की कशिश भी नयी हो ।

न हो कोई राजा न हो रंक कोई,

सभी हों बराबर, सभी आदमी हों ।

मेरी सरकार ने अपने कार्यकाल में उत्तर प्रदेश को एक **समृद्ध, सुशिक्षित एवं सुविकसित राज्य** के रुप में विकसित कर इसे पूरे देश में श्रेष्ठतम स्थान दिलाने के लिये पूरी लगन से कार्य किया है । आपके अभूतपूर्व सहयोग से नयी कार्यशैली एवं उत्साहवर्द्धक वातावरण के सृजन के कारण कार्य कुशलता में वृद्धि हुई है और प्रदेश चहुंमुखी विकास के पथ पर अग्रसर है । उत्तर प्रदेश के विकास की इस नयी गति एवं दिशा ने आम लोगों में मेरी सरकार के प्रति एक नया विश्वास पैदा किया है ।

मेरी सरकार की प्रतिबद्धताओं को सारगर्भित रुप से निम्न प्रमुख शीर्षकों के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जा सकता है :–

1–अमन चैन के राज्य की स्थापना ।

2–समाज के सभी वर्गों के साथ सीधा संवाद ।

3–किसान समग्र विकास की धुरी ।

4–गांव एवं पंचायतें: विकास के मूल आधार ।

5–व्यापार, उद्योग एवं आधारभूत सुविधाएं उन्नति की आधारशिला ।

6–सूचना प्रौद्योगिकी एवं विद्युत सुधार एक नये युग की शुरुआत ।

7–विकास के विविध आयाम : नवीन कदम ।

8–सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय : संकल्प ।

9–पारदर्शी कार्यप्रणाली, स्वच्छ तथा संवेदी प्रशासन : निश्चय ।

1–अमन चैन के राज्य की स्थापना

कानून-व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण एवं आपराधिक तत्वों पर नियंत्रण

माननीय सदस्यगण मेरी सरकार ने गठन के बाद ही यह स्पष्ट कर दिया था कि वह जनता को इस प्रदेश में सुरक्षा का वातावरण देगी तथा कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करते हुए अमन चैन का राज्य स्थापित करेगी । इस दिशा में कार्य करना हमारे लिए एक चुनौती थी । लेकिन जनता एवं पुलिस का मनोबल ऊंचा करते हुए संगठित रुप से आपराधिक तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही प्रारम्भ की गयी । इस दिशा में हमारे प्रयास निरन्तर जारी हैं । मानवाधिकारों के हनन के प्रति सरकार अत्यन्त संवेदनशील व जागरुक है । मुझे यह अवगत कराते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे प्रयासों से प्रदेश में अमन चैन का वातावरण बना है तथा माफियाओ, तस्करों, दुराचारियों, कमजोर वर्गों का उत्पीड़न करने वालों एवं अन्य समस्त आपराधिक तत्वों के हौसले पस्त हुए हैं । निर्दोष व्यक्तियों का उत्पीड़न करने वाले पुलिस कर्मी दण्डित भी हुए हैं ।

महाकुम्भ : चुस्त व्यवस्था

मेरी सरकार के लिए यह गर्व का विषय है कि राज्य एवं देश ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे महत्वपूर्ण एवं विशाल जन सम्मेलन, इस **सहस्त्राब्दि का प्रथम महाकुम्भ, कुशल प्रशासनिक एवं चौकस पुलिस–व्यवस्था के फलस्वरूप शान्तिपूर्ण ढ़ंग से सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ** । विभिन्न स्नान पर्वों पर देश-विदेश से आये लगभग 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम स्नान का पुण्य लाभ किया । मैं इस महाकुम्भ के सफल आयोजन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष योगदान देने वाले सभी लोगों को बधाई एवं साधुवाद देता हूं ।

स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव

मेरी सरकार के अथक एवं नियोजित प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश में **पंचायतों व स्थानीय निकायों के चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष व शान्तिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न** कराये गए । इस अवधि में पड़े प्रमुख त्योहार भी शान्तिपूर्ण ढ़ंग से सकुशल सम्पन्न हुए ।

बेहतर कार्मिक प्रबंधन

मेरी सरकार ने अपराधों की विवेचना में और अधिक तेजी और व्यापक सुधार लाने के उद्देश्य से विवेचना और कानून व्यवस्था को अलग-अलग करने का फैसला लिया है । अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण रखने और कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा संवर्ग में शहरी क्षेत्र के तीन और ग्रामीण क्षेत्र के चार थानों पर एक-एक पुलिस उपाधीक्षक तैनात करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया ।

निष्ठावान पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 11 पुलिस कर्मियों को समय से पहले एक पद ऊपर प्रोन्नति दी गयी है । अपर पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस उपाधीक्षक के 147 नये पदों का सृजन भी किया जा रहा है ।

राष्ट्र विरोधी तत्वों पर नियंत्रण

माननीय सदस्यगण, आपको अवगत है कि प्रदेश में पैर पसारने की आई०एस०आई० भरपूर कोशिश कर रही है । मेरी सरकार इस सम्बन्ध में सजग है और उसने देशद्रोही तत्वों का पता लगाने एवं उनको गिरफ्तार करने की दिशा में कई उल्लेखनीय सफलताएं प्राप्त की हैं । आई०एस०आई० और संगठित अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का पुनर्गठन करके इसे स्थायी स्वरूप प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

पुलिस व्यवस्था का आधुनिकीकरण

उत्तर प्रदेश–नेपाल सीमा पर विशेष समस्याओं से निपटने के उद्देश्य से नवगठित उत्तर प्रदेश–नेपाल सीमा पुलिस बल के सुदृढ़ीकरण का निर्णय लिया गया है । घुमंतू अपराधियों के अभिलेखीकरण एवं अपराध विश्लेषण के लिए **राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो में एक विशेष प्रकोष्ठ** गठित किया गया है । कानून-व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिये 125 करोड़ रुपये की योजनाएं बनायी गयी हैं । इन योजनाओं से अपराध नियंत्रण एवं अन्वेषण कार्य बेहतर ढंग से सम्पादित किया जाना सम्भव हो पायेगा । अदम्य साहस और वीरता प्रदर्शित करने वाले शहीद पुलिस कर्मियों के आश्रितों को मिलने वाली धनराशि को बढ़ाकर पांच लाख रुपये किया गया है । बदलते समय की आवश्यकताओं के अनुरूप मेरी सरकार ने **पुलिस व्यवस्था को सूचना प्रौद्योगिकी** युक्त बनाने का निर्णय लिया है और **विश्व स्तरीय डायल–100 सुविधा, स्मार्ट इन्ट्रानेट आधारित डायल कन्ट्रोल प्रणाली और रेडियो ट्रंकिंग प्रणाली** की व्यवस्था की है । जेलों में बन्द अपराधियों की गतिविधियों को नियंत्रित रखने के लिए उच्च क्षमता के सैल फोन जैमर की स्थापना शीघ्र की जायेगी ।

मानवाधिकारों की सुरक्षा

मेरी सरकार का संकल्प है कि **अशिक्षा, गरीबी और गुरबत में गुजर-बसर कर रहे आम नागरिकों के साथ पुलिस सहयोगी-सा व्यवहार करे तथा बदले में उसका सहयोग प्राप्त करे । पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि वह अपराधियों पर कहर बनकर टूटे, अपने क्रियाकलाप से अपराधियों के मन में भय एवं नागरिकों के मन में सुरक्षा का भाव पैदा करे । सभी नागरिकों के जान, माल और सम्मान की सुरक्षा की गारण्टी मेरी सरकार का ध्येय है । मानवाधिकारों की रक्षा में विफल या उसका हनन करने के दोषी पुलिसकर्मियों को** दण्डित करने तथा उन्हें जिला पुलिस में तैनात न करने की कार्यवाही की गयी है ।

2–समाज के सभी वर्गों के साथ सीधा संवाद

सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं को जाति, सम्प्रदाय, धर्म के विभेदकारी चश्में से देखने के बजाय मेरी सरकार ने पहली बार सामूहिक हित के पोषण की आकांक्षा से गठित वर्गों को आधार बनाकर जन-आकांक्षाओं को टटोलने का प्रयास किया है । कभी-कभी ऐसा लगता है कि पूरी ईमानदारी से सोचने के

बावजूद किसानों, व्यापारियों, शिक्षकों जैसे महत्वपूर्ण वर्गों के हित साधन हेतु लिये गये निर्णय उनकी आकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं से पीछे रह जाते हैं। इस अन्तर को पाटते हुए जनाकांक्षा के अनुरूप जनसेवा करने के उद्देश्य से मेरी सरकार ने पहली बार इन सभी **वर्गों से सीधा संवाद स्थापित किया है**। उनसे हुई खुली चर्चा में उभरे स्वर को शासनादेश का स्वरूप दिया गया है।

किसान पंचायत

किसान पंचायत में किसानों को 12 घंटे नियमित विद्युत आपूर्ति कराने धान उपलब्ध रहने तक खरीद जारी रखने, ट्रैक्टर-ट्राली पर लागू टैक्स वापस लेने, चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस को **"किसान दिवस"** के रूप में मनाये जाने, फास्फेटी एवं पोटाशी उर्वरकों पर व्यापार कर समाप्त करने और एन०टी०पी०सी० से 300 मेगावाट अतिरिक्त बिजली किसानों के लिये खरीदने के निर्णय लिये गये।

व्यापारी पंचायत

व्यापारी पंचायत में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा **3/7** स्थगित करने व्यापार कर की दूसरी अपील की फीस दस हजार रुपये से घटाकर मात्र **2,100** रुपये करने, ट्रकों में स्वीकृत सीमा से अधिक भार का लदान समाप्त करने, व्यापार कर सलाहकार समिति में व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधि रखे जाने और **स्वतः कर निर्धारण की सीमा 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने के महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।**

शिक्षक पंचायत

शिक्षक पंचायत में वर्ष **1986** के पूर्व सेवानिवृत्त शिक्षकों की पेंशन के पुनरीक्षण की व्यवस्था शीघ्र कराये जाने, वर्ष **1998** की हड़ताल अवधि में बर्खास्त शिक्षकों की पूरे वेतन के साथ बहाली तथा पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतनमान दिए जाने के सम्बन्ध में उच्च स्तरीय समिति गठित कर उनसे प्राप्त प्रतिवेदन पर शीघ्र निर्णय लेने के निर्णय लिये गये।

श्रमिक पंचायत

श्रमिक पंचायत में श्रमिकों को उचित सम्मान दिलाने हेतु न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड के फैसलों को असरदार ढंग से लागू करने का निर्णय लिया गया। संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में मजदूरों की समस्याओं के समाधान के लिए **"श्रम बन्धु"** का गठन तथा भवन निर्माण में लगे मजदूरों के लिए कल्याण परिषद् गठित करने का निर्णय लिया गया।

जनता दर्शन

शासन के विभिन्न स्तर के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे जनता से अधिकाधिक संवाद रखें ताकि उनकी समस्याओं का निराकरण स्थानीय स्तर पर ही हो सके और उसे अनावश्यक दौड़-धूप में अपना धन, श्रम एवं समय न व्यर्थ करना पड़े। फिर भी यदि किसी की समस्या का समाधान नहीं हो पाता है तो राज्य सरकार के सर्वोच्च प्रतिनिधि स्वयं उनकी समस्याओं को सुनकर उनके त्वरित निस्तारण हेतु प्रत्येक सप्ताह **'जनता दर्शन'** कार्यक्रम का आयोजन करते हैं।

आधुनिक तकनीकों से निरन्तर संवाद

इस श्रृंखला की एक प्रमुख कड़ी जनता से **आन-लाइन इंटरनेट संवाद** है। मेरी सरकार द्वारा वेबसाइट पर प्राप्त होने वाले पत्रों के जवाब दिये जा रहे हैं। दूरदर्शन पर **'उत्तर प्रदेश इस सप्ताह'** जैसे कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए हैं, जो सरकार और जनता के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने में सहायक बन रहे हैं।

3–किसान : समग्र विकास की धुरी

पूरे देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान लगभग 23 प्रतिशत है । माननीय सदस्यगण सहमत होंगे कि गांवों और किसानों की खुशहाली के बिना इस प्रदेश को खुशहाल बनाने का संकल्प पूरा नहीं हो सकता । अतः गांवों और किसानों को मेरी सरकार ने अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है और विकास की प्रक्रिया को किसानोन्मुख बनाया है ।

राष्ट्रीय खाद्यान्न उत्पादन में प्रदेश का सम्मानजनक स्थान

प्रदेश में **पिछले वर्ष रबी, खरीफ, गन्ना एवं आलू का रिकार्ड उत्पादन** हुआ है । मेरी सरकार के प्रयास, अच्छे मानसून और किसानों की कड़ी मेहनत के कारण देश के खाद्यान्न भण्डार में प्रदेश एक बड़ा योगदान कर रहा है । मैं इस हेतु प्रदेश के करोड़ों किसानों को बधाई देता हूं ।

किसानों को बधाई

इस वर्ष धान की फसल समय से थोड़ा पहले बाजार में आ जाने तथा धान मिलों के द्वारा क्रय तत्काल प्रारम्भ न हो पाने के कारण खुले बाजार में धान की कीमत काफी गिर गयी थी । ऐसे समय में धान की कीमत काफी गिर गयी थी । ऐसे समय में किसानों के दर्द को समझते हुए मेरी सरकार ने **धान खरीद के लिए प्रदेश भर में 1,600 से अधिक केन्द्रों को सक्रिय किया और प्रदेश के इतिहास में अब तक खरीदी गयी अधिकतम धान की मात्रा से आठ गुना से भी ज्यादा 5.40 लाख टन धान खरीद कर किसानों के हितों की रक्षा की है** । प्रदेश के इतिहास में किसानों को सुरक्षा के लिए बाजार में इतना प्रभावी हस्तक्षेप पहले कभी नहीं हुआ । इससे प्रत्येक किसान को कम से कम **100 से 150 रुपये प्रति क्विंटल का लाभ मिला** । यह किसानों के हितों के प्रति मेरी सरकार की सम्पूर्ण प्रतिबद्धता का सजीव प्रमाण है ।

धान खरीद एक ऐतिहासिक उपलब्धि

मेरी सरकार कृत संकल्प है कि आगामी रबी की फसल में भी आवश्यकतानुसार गेहूं की खरीद की व्यवस्था इस तरह की जायेगी कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले । इसके लिए जितना भी गेहूं सरकार को क्रय करना होगा, उसे क्रय करने में सरकार पीछे नहीं हटेगी ।

उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है । चीनी मिलें किसानों का अधिकाधिक गन्ना खरीद सकें, इसके लिए उदार गन्ना नीति बनाई गयी है और उसे लागू किया गया है । प्रदेश को स्थाई रुप से चीनी उत्पादन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनाये रखने और गन्ना प्रजातियों के संतुलन के लिये गन्ना बीज बदलाव की प्रभावी योजना मेरी सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही है । **किसानों को बेहतर व सामयिक गन्ना मूल्य अदायगी के लिए विशेष प्रयास किये गये हैं ।**

गन्ना मूल्य में वृद्धि और भुगतान

वर्तमान गन्ना पेराई सत्र 2000-2001 में गन्ना किसानों के हित को ध्यान में रखते हुये गत वर्ष के सापेक्ष **गन्ना मूल्य में पांच रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि** की गई, जिससे गन्ना किसानों को अब अगैती गन्ना प्रजातियों के लिए 95 रुपये और सामान्य प्रजातियों के गन्ने के लिए 90 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य प्राप्त हो रहा है । इस प्रकार गत वर्ष के सापेक्ष गन्ना किसानों को लगभग 250 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी होगी ।

प्रदेश के समग्र विकास एवं किसानों की खुशहाली का ध्यान रखते हुए शीरे पर आधारित **गैसोहल उत्पादन की पायलट परियोजना** प्रदेश में प्रारम्भ की जा रही है। इससे जहां प्रदूषण पर काबू पाया जा सकेगा, वहीं पेट्रोल आयात बिल में भी कमी आयेगी।

आलू भण्डारण एवं विपणन व्यवस्था

प्रदेश में इस वर्ष लगभग **85** लाख टन आलू का उत्पादन होने की सम्भावना है। इस महत्वपूर्ण फसल के विपणन के लिये **'आलू निर्यात नीति'** तैयार की जा रही है। अच्छे उत्पादन के कारण आलू के बाजार मूल्य में गिरावट न आये, इस हेतु प्रदेश से **10** लाख टन आलू को अन्य राज्यों में भेजने की व्यवस्था की गयी है। उत्पादन के अनुरूप भंडारण की व्यवस्था होने से किसानों को न सिर्फ आलू का वर्तमान में अच्छा मूल्य मिल रहा है, बल्कि शीतगृहों में उसे भण्डारित करने के लिये प्रतिस्पर्धी दरों पर भण्डारण की सुविधा भी उपलब्ध हो रहा है, जिससे पूरे वर्ष अच्छा मूल्य मिलने की संभावना है।

किसानों से बेहतर संवाद की व्यवस्था

मेरी सरकार किसानों में जागरूकता लाने, उनका ज्ञानवर्द्धन करने, उन्हें तकनीकी दृष्टि से सशक्त बनाने तथा बाहरी दुनिया कि उपलब्धियों से रूबरू कराने के लिए **'एग्रोटेक मेला', 'एग्रो एक्सपो', 'किसान पंचायत', 'कृषक हेल्प लाइन' आदि** का आयोजन कर प्रदेश में कृषि क्रांति लाने का अभियान चला रही है। कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक तकनीक का समावेश कर किसानों की जानकारी के लिए एक **वेबसाइट/पोर्टल** लागू किया गया है। मेरी सरकार द्वारा कृषि निर्यात को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से **''उत्तर प्रदेश पंचवर्षीय चावल निर्यात नीति'' और ''उत्तर प्रदेश द्विवार्षिक आम निर्यात नीति''** भी घोषित की गयी है।

गहरे और नलकूपों द्वारा बेहतर सिंचन व्यवस्था

कृषकों को सुनिश्चित सिंचाई साधन उपलब्ध कराने के लिए मेरी सरकार निजी लघु सिंचाई कार्यक्रम चला रही है। प्रदेश के जिन क्षेत्रों में जल स्तर नीचे चले जाने के कारण उथले नलकूपों का निर्माण सम्भव नहीं है, वहां **निजी कृषकों को गहरे नलकूप निर्माण के लिए विशेष सहायता** दी जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत दो लाख रुपये तक नलकूप निर्माण की लागत का **50** प्रतिशत और अधिकतम एक लाख रुपये अनुदान दिया जाता है पठारी एवं कठिन स्ट्रेटा वाले क्षेत्रों में जिला योजना के अन्तर्गत गहरे नलकूप निर्माण पर पहले से ही चालू योजना में लागत का **50** प्रतिशत और अधिकतम एक लाख रुपये प्रति नलकूप अनुदान दिया जा रहा है। **निःशुल्क बोरिंग कार्यक्रम** के अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त कृषकों को क्रमशः **3,000** एवं **4,000** रुपये तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कृषकों को **5,000** रुपये का अनुदान अनुमन्य कराया जा रहा है। बोरिंग पर पम्पसेट स्थापित करने के लिए नाबार्ड द्वारा निर्धारित इकाई लागत के आधार पर लघु कृषकों को **2,800** रुपये, सीमान्त कृषकों को **3,750** रुपये तथा अनुसूचित जाति और जनजाति के कृषकों को **5,650** रुपये तक अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।

मेरी सरकार ने रबी 2001 के लिए सिंचाई की प्रभावी व्यवस्था की है। **नहरों के आखिरी छोर तक पानी** पहुंचाना सुनिश्चित किया गया है। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार हेतु लगभग 90 करोड़ रुपये की लागत से आगरा जनपद के बाह क्षेत्र में राजा महेन्द्र रिपुदमन सिंह **चम्बल डाल परियोजना** तथा ललितपुर जनपद में लगभग 90 करोड़ रुपये की लागत से बनी जाखलौन पम्प नहर परियोजना जनता को समर्पित की गयी। जाखलौन परियोजना से 23,903 हेक्टेयर क्षेत्र की अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित होगी। **नहरों की सफाई के लिए चलाए गए अभियान** के तहत 27,685 किलोमीटर नहरों की सफाई की गयी। वर्षों से लम्बित **पुनरीक्षित टोंस पम्प नहर, चित्तौड़गढ़ जलाशय, घाघर नहर का आधुनिकीकरण, बेबर फीडर तथा गुन्टा नाला बांध परियोजना** पूरी की गयी। शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत 3,17,000 हेक्टेयर तथा राजघाट ऊपरी नहर परियोजना में 3,500 हेक्टेयर सिंचन क्षमता में वृद्धि की गयी।

वृहद् और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की सिंचन क्षमता का वैज्ञानिक ढंग से पूर्ण उपयोग सुनिशित करके कृषि उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से मेरी सरकार 37 जिलों में **समादेश क्षेत्र विकास कार्यक्रम** चला रही है। वर्ष 2000-2001 के अन्त तक इस कार्यक्रम से एक लाख बीस हजार हेक्टेयर क्षेत्र आच्छादित हो जायेगा।

सूखोन्मुख क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के 15 जनपदों के 60 विकास खण्डों में 32 करोड़ रुपये से 54,250 हेक्टेयर समस्याग्रस्त क्षेत्र उपचारित किया जायेगा। प्रदेश के 25 जनपदों में एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 32 परियोजनाएं चलायी जा रही हैं।

बेहतर सुविधायें

मेरी सरकार ने खाद्यान्न उत्पादन में और वृद्धि करने के उद्देश्य से उन्नत बीज, उर्वरक, जैव पदार्थ तथा कृषि रक्षा रसायनों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित की है। कृषि क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए अपक्षरण, बीहड़ परती, जलमग्न तथा अम्लीय एवं क्षारीय समस्या से प्रभावित लगभग **135 लाख हेक्टेयर भूमि का उपचार** उच्च प्राथमिकता से करने का निर्णय लिया गया है। कृषि एवं इस पर आधारित अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 60 करोड़ रुपये की **कृषि विकास निधि** की स्थापना की गयी है। कृषि शिक्षा संस्थानों को उच्चीकृत करने के उद्देश्य से **सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ** की स्थापना की जा चुकी है। **इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट को उच्चीकृत कर डीम्ड कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा** प्रदान किया गया है।

कृषि नीति के अन्तर्गत मेरी सरकार द्वारा **प्रत्येक तहसील क्षेत्र में एक मण्डी स्थल** का निर्माण किया जायेगा।

प्रदेश की जनता को उचित गुणवत्ता की आवश्यक वस्तुएं एवं खाद्यान्न उचित मूल्यों पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के लिये मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। भारत सरकार द्वारा वर्ष **2000-2001** में **'अन्नपूर्णा योजना'** लागू की गयी है, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन न पाने वाले **65** वर्ष या इससे अधिक उम्र के निराश्रित वृद्धजनों को **10** किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह निःशुल्क दिया जाता है।

सहकारिता को बल

मेरी सरकार सहकारिता के माध्यम से किसानों को लाभान्वित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। सहकारिता के माध्यम से **12,69** लाख टन उर्वरक और लगभग **900** करोड़ रुपये अल्पकालीन ऋण तथा **4** लाख **38** हजार किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण भी सुनिश्चित किया गया है।

4. गांव एवं पंचायतें : विकास के मूल आधार

गरीबी उन्मूलन योजनाएं

प्रदेश के ग्रामीण अंचलों के कुल **194** लाख परिवारों में से **76** लाख **65** हजार परिवार गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं। इन निर्धन परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना मेरी सरकार की प्रतिबद्धता है। गरीबी उन्मूलन एवं ग्रामीण जीवन-स्तर में सुधार के उद्देश्य से स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के साथ-साथ **सुनिश्चित रोजगार योजना, इन्दिरा आवास योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम और बायोगैस परियोजना** जैसे प्रभावी कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

पंचायतों को व्यापक शक्तियां

मुझे आपको यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरी सरकार का दृष्टिकोण कार्यक्रमों को जनकल्याणपरक बनाना है और इसमें पंचायती राज संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ग्राम सभा की खुली बैठकों में **इन्दिरा आवास** एवं अन्य योजनाओं के लाभार्थियों का चयन हो रहा है। पंचायतों को इस वर्ष लगभग **2,900** करोड़ रुपये के संसाधन उपलब्ध कराये गए थे और इस बार यह संसाधन और अधिक होंगे। मेरी सरकार का प्रयास है कि पंचायतें और अधिक सक्रिय एवं सक्षम भूमिका निभाएं, जिससे ग्रमीण क्षेत्रों में चल रही इन सारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों, विशेषकर गरीबी–रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को पूर्ण रूप से मिले।

ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इसी वर्ष **प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना** प्रारम्भ की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष **2003** तक **1000** की आबादी वाले गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ दिया जायेगा। इसके साथ ही **500** से अधिक आबादी वाले सभी गांवों को भी वर्ष **2007** तक सम्पर्क मार्गों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। मुझे विश्वास है कि मेरी सरकार इस लक्ष्य को समय से काफी पहले ही पूरा कर लेगी।

पेयजल की सुविधा

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए **सभी बस्तियों में 250 व्यक्तियों पर एक हैण्डपम्प** के मानक के आधार पर **प्रदेश को इस माह के अन्त तक संतृप्त कर दिया जायेगा**। तत्पश्चात् यह मानक **150** व्यक्तियों के लिए सामुदायिक सहभागिता के आधार पर निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत चयनित गांवों को सम्पर्क मार्ग निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण, नाली और खड़ंजा निर्माण, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, निःशुल्क बोरिंग, स्वर्ण जयन्ती ग्राम रोजगार योजना, इन्दिरा आवास योजना, स्वच्छ पेयजल, प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना और उनके भवन निर्माण, वृद्धावस्था और किसान पेंशन तथा विधवा पेंशन के कार्यक्रमों से संतृप्त किया जा रहा है। अम्बेडकर ग्राम-विकास योजना

स्वरोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में मेरी सरकार द्वारा **रोजगार छतरी योजना** का क्रियान्वयन कराया जा रहा है। इसके अन्तर्गत वर्ष **2000-2001** में फरवरी, **2001** तक **4,82,286** लोगों के लिये रोजगार के अवसर सृजित किये गये हैं। स्वरोजगार योजनाओं की पहल

मुझे यह बताते हुए अपार प्रसन्नता है कि मेरी सरकार के प्रयासों से **उत्तर प्रदेश को पूरे देश में दुग्ध उत्पादन के लिए प्रथम स्थान अर्जित करने का गौरव प्राप्त हुआ है**। दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों की उत्पादकता एवं उत्पादन में और अधिक वृद्धि करने के सतत् प्रयास किये जा रहे हैं। इस क्षेत्र के विकास से बेरोजगारी की समस्या का बड़ी सीमा तक निदान हो सकेगा। दुग्ध विकास

गांवों में रहने वाली महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए मेरी सरकार द्वारा महिला डेरी परियोजना के अन्तर्गत **1,266** समितियों का गठन किया गया तथा **42,043** महिला सदस्यों के माध्यम से **34** हजार **570** लीटर प्रति दिवस दुग्ध उपार्जन किया गया। सघन मिनी डेरी परियोजना के अन्तर्गत **44,317** सघन डेरी स्थापित कर **78,818** लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

प्रदेश में **मत्स्य-विकास** के लिए वर्ष **2000-2001** में झीलों की उत्पादकता बढ़ाने तथा नहरों में मत्स्य कार्यक्रमों को चलाने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया है। मत्स्य विकास

मेरी सरकार गांवों के भविष्य के प्रति अपनी संकल्पना के दहन कराव पहुंच रही है। सभी गांवों को सड़कों से जोड़ने का समयबद्ध लक्ष्य मेरी सरकार ने निर्धारित कर दिया है। एक से डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर स्कूल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। ग्रामीण आवास योजनाओं के अन्तर्गत प्रदेश के सभी बेघर लोगों को मेरी सरकार आश्रय उपलब्ध कराने के लिये प्रयत्नशील है। कोई भूखा न सोये, इसे सार्थक करने के लिए **'प्रधान मंत्री जी की अन्त्योदय अन्न योजना'** के साथ स्वर्ण जयन्ती ग्राम रोजगार योजना और प्रभावी ढंग से लागू की जा रही है। **सभी गांवों को बिजली उपलब्ध कराने की समयबद्ध योजना,** कृषि पर आधारित उद्योगों का जाल निश्चय ही ग्रामीण अंचलों में सम्पन्नता लायेगा, जिसके लिए मेरी सरकार कृत-संकल्प है। भविष्य की संकल्पना

पसीने का सम्मान

योजनाओं, संसाधनों और आंकड़ों से परे गांवों में रहने वाले 13 करोड़ लोग सार्थक प्रजातंत्र की एक नयी सुबह के इंतजार में हैं, जिसकी सुबह या तो खेतों से होती है या खलिहानों से। आजादी के विगत 53 वर्षों से चल रही इस दौड़ के हम सब गवाह हैं। मेरी सरकार किसानों के लिए सुनियोजित ढंग से ऐसी स्थाई व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रही है कि प्रदेश के किसान बादलों के बजाय नहरों को देखेंगे, उनके पसीने का उन्हें उचित मूल्य मिलेगा और उपेक्षा के बदले उन्हें सम्मान मिलेगा।

5. व्यापार, उद्योग एवं आधारभूत सुविधाएं : उन्नति की आधार शिला

पूंजी निवेश का बेहतर वातावरण

औद्योगिक विकास के लिए उपयुक्त एवं निवेशोन्मुख वातावरण सृजित करने के प्रति कृत-संकल्प मेरी सरकार द्वारा इस ओर विशेष ध्यान दिया गया है कि प्रदेश में उद्योगों के लिए स्वस्थ और उत्साहजनक परिस्थितियां निर्मित हों, ताकि अधिकाधिक उद्यमी यहां पूंजी निवेश के लिए आकर्षित हों और प्रदेश में लोगों को रोजगार के वैकल्पिक अवसर उपलब्ध हों। हमारे गम्भीर और अथक प्रयासों के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत में औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक निवेश आकर्षित करने वाला प्रदेश बन गया है।

प्रदेश में निवेशकों को वी०आई०पी० का दर्जा देने के लिए **''वी०आई०पी० गोल्ड कार्ड''** एवं **''वी०आई०पी० ग्रीन कार्ड''** व्यवस्था लागू की गयी है।

उद्योग प्रक्रियाओं का सरलीकरण

विभिन्न विभागों के **इंस्पेक्टरों के मनमानेपन तथा निरंकुशता को समाप्त करने** के लिये यह व्यवस्था की गयी है कि किसी भी औद्योगिक इकाई का निरीक्षण अब बिना जिला मजिस्ट्रेट अथवा मण्डलायुक्त की पूर्व अनुमति के नहीं किया जा सकेगा। **औद्योगिक इकाईयों को पूर्ण सुरक्षा** प्रदान करने के आश्वासन को पूरा करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, जिला पुलिस अधीक्षक और उद्यमों के मध्य मासिक **''त्रिपक्षीय बैठकों''** की व्यवस्था की गयी है।

प्रदेश के कतिपय क्षेत्रों में निहित औद्योगिक संभावनाओं के पूर्ण विकास हेतु सात औद्योगिक गलियारे चिन्हित किये गये हैं। इन क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास करके उन्हें औद्योगिक दृष्टि से उत्कृष्टता का केन्द्र बनाया जायेगा।

अवस्थापना सुविधाओं का विकास

दिल्ली से विस्थापित उद्योगों को प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों **नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा ट्रॉनिका सिटी** आदि में आकर्षित करने के उद्देश्य से उन्हें भूखण्डों का आवंटन करने के लिए विशेष शिविर लगाये जा रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से

3000 से अधिक भूखण्ड आवंटित भी किये जा चुके हैं। प्रदेश की भण्डार क्रय नीति का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिये सभी विभागों, निगमों, परिषदों तथा विकास प्राधिकरणों को कड़े निर्देश दिये गये हैं कि प्रदेश के लघु उद्योगों को मूल्य वरीयता तथा क्रय वरीयता प्रदान की जाये।

विकास की एक नई शुरूआत

उद्योग विभाग के शासनादेश, प्रक्रियाएं और रूपपत्र एक स्थान पर उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध कराये गये हैं। कोई भी उद्यमी कार्यालय जाए बिना कम्प्यूटर से ही जानकारी प्राप्त कर सकता है। राज्य औद्योगिक विकास निगम को प्राधिकरण में परिवर्तित करने की कार्यवाही चल रही है और सम्भवतः आगामी एक अप्रैल तक यह कार्यवाही सम्पन्न कर ली जायेगी। **भदोही एवं नोएडा में विशेष आर्थिक क्षेत्र** स्थापित करने का निर्णय लिया गया है और उस पर कार्यवाही चल रही है।

प्रदेश में गैस ग्रिड की स्थापना

सामान्यतः उद्योग बिजली पर आधारित है। नई तकनीक में गैस के उपयोग से आधुनिक भारी उद्योग स्थापित किये जा रहे हैं। इस आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए पूरे प्रदेश में **गैस ग्रिड स्थापित किये जाने की योजना न केवल तैयार की गयी है वरन् उस पर कार्यवाही भी शुरू हो गयी है।** इस सम्बन्ध में समझौता ज्ञापन भी हस्ताक्षरित हो चुका है। अबूधाबी की कम्पनी बावासी आयल तथा अमेरिका की यूनीकाल कम्पनी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के हुए समझौते के तहत पूरे प्रदेश में गैस की ग्रिड स्थापित हो जायेगी। मैं प्रदेश वासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस दिन मेरी सरकार प्रदेश में गैस ग्रिड की स्थापना कर लेगी वह दिन प्रदेश के औद्योगीकरण तथा गैस पर आधारित घरेलू उपभोक्ता वस्तुओं के लिए इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा।

नई खनिज नीति

मेरी सरकार द्वारा **नई खनिज नीति** लागू की गयी है। खनन कार्य में नीलामी के स्थान पर पट्टों के आवंटन की नवीन व्यवस्था के अन्तर्गत इससे परम्परागत रूप से जुड़े हजारों बेरोजगारों के लिये रोजगार के दरवाजे खुले हैं तथा प्रभावशाली व्यक्तियों का एकाधिकार समाप्त हुआ है। मेरी सरकार की नीतियों के फलस्वरूप प्रदेश में न केवल उत्साहजनक औद्योगिक वातावरण सृजित हुआ है, बल्कि नये पूंजी निवेश की संभावनाएं भी बढ़ी है तथा रोजगार के प्रचुर अवसर सृजित हो रहे हैं।

एकल मेज व्यवस्था

प्रदेश में उद्यमियों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु **एकल मेज व्यवस्था** लागू की गयी है। उद्यमियों की 11,468 समस्याओं का निस्तारण किया जा चुका है। मेरी सरकार ने 60 दिनों के अन्दर समस्त स्वीकृतियां एक ही स्थान पर प्रदान करके उद्यमियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाया है।

लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित माल के विपणन की समस्या को ध्यान में रखते हुए नई औद्योगिक नीति के अनुरूप निजी विपणन कम्पनियों का गठन किया जा रहा है।

मेरी सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप **प्रदेश से निर्यात की राशि 11,500 करोड़** रुपये से भी अधिक हो गई है। साफ्टवेयर निर्यात में उत्तर प्रदेश पूरे देश में दूसरे नम्बर पर है।

नवीन सड़क योजनाएं

आर्थिक आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में राज मार्गों एवं सेतुओं की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुये मेरी सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में **30 जिला मार्गों को राज्य मार्ग तथा 6 राज्य मार्गों को राष्ट्रीय राज्य मार्ग** घोषित किया गया है। इसके अलावा 37 सेतुओं का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया।

नगरीय मार्गों के सुधार के लिए **"डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगरीय मार्ग योजना"** के अन्तर्गत 37 जनपदों के 55 मार्गों के सुधार कार्य स्वीकृत किये गये हैं, जिनमें से अक्टूबर, 2000 तक 26 जनपदों के 35 कार्य पूरे किये जा चुके हैं। निजी क्षेत्र की **नोयडा टोल ब्रिज** कम्पनी द्वारा नोयडा को दिल्ली से जोड़ने वाले 7 किलोमीटर लम्बे 8 लेन वाले 408 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित टोल ब्रिज को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इस परियोजना को निर्धारित समय सीमा से चार माह पूर्व ही पूर्ण कर लिया गया है।

नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत अब तक 206 सेतुओं की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। सड़कों के रख-रखाव की नीति निर्धारित करने, सड़क निधि में उपलब्ध धनराशि के व्यय हेतु वार्षिक कार्य योजना बनाने और उसकी प्रगति की समीक्षा के लिए मेरी सरकार ने एक **"सड़क निधि प्रबन्धन समिति"** का गठन किया है, जिसमें जनप्रतिनिधियों के अतिरिक्त गैर-सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया गया है।

परिवहन व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण

परिवहन को आसान बनाने और वाहन चालकों की सुविधा के लिए मेरी सरकार ने चेकपोस्टों के सुदृढ़ीकरण एवं वाहन स्मार्टकार्ड की योजना बनाई है। मेरी सरकार ने सभी **क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण** का निर्णय लिया है जिससे जनता को सरल एवं प्रभावकारी सुविधा मिल सके और परिवहन कार्यालयों से दलालों का सफाया हो सके। इस क्रम में लखनऊ के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय को कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है।

प्रदेश की जनता को आरामदेह, विश्वसनीय एवं सस्ता परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अप्रैल से दिसम्बर, 2000 की अवधि में 477 नयी बसें उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बेड़े में सम्मिलित की गयी हैं। बस स्टैण्ड पर यात्री-सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए निगम स्तर पर **यात्री सुविधा निधि** की स्थापना करके यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं में विस्तार कराया जा रहा है।

दुर्घटना वादों के शीघ्र निस्तारण हेतु परिवहन निगम के स्तर पर **दुर्घटना राहत कोष** का गठन किया गया है।

जनसामान्य को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित किया जाना मेरी सरकार की प्राथमिकताओं में है और इस दिशा में निरन्तर सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं। प्रदेश के जिन 18 क्षेत्रों में एक अप्रैल, 2000 को पाइप पेयजल आपूर्ति नहीं थी, वहां यह सुविधा मार्च, 2001 तक उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। सामाजिक अवस्थापना सुविधाएं

गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण की समाप्ति के बाद योजना के द्वितीय चरण में गंगा, यमुना एवं गोमती नदियों के तट पर स्थित 33 नगरों में कार्य कराये जा रहे हैं। इन कार्यों पर 571 करोड़ रुपये का व्यय होगा और इससे प्रतिदिन 1.261 मीलियन लीटर जल मल से नदी में हो रहे प्रदूषण को रोका जायेगा। लखनऊ नगर के लिए गोमती नदी में प्रदूषण नियंत्रण कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा लगभग 43 करोड़ रुपये के कार्य प्रारम्भ किये जाने की सहमति दे दी गयी है और इन पर कार्य प्रारम्भ कराये जा चुके हैं। गंगा कार्य योजना

राज्य के नगरों की मलिन बस्तियों के अधिकांश परिवार गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। इन मलिन बस्तियों के निवासियों को रोजगार, स्वच्छ पेयजल, जल प्रवाहित शौचालय, शुद्ध पर्यावरण, स्वास्थ्य, आश्रय एवं शिक्षा सेवाएं, पौष्टिक आहार आदि उपलब्ध कराने के लिए मेरी सरकार **स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना, राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम, स्वच्छकार विमुक्ति योजना, आश्रय कोष योजना और स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान** जैसे कार्यक्रम चला रही है। स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत अब तक 1615.48 लाख रुपये व्यय करके 1.26 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है तथा 2.93 लाख मानव दिवस का सृजन किया गया है। इसी तरह राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत 3053 लाख रुपये व्यय किये गये हैं। इसके अतिरिक्त सभी मलिन बस्तियों का विद्युतीकरण कराने का निर्णय लिया गया हैं। मलिन बस्तियों के सुधार की योजना

मेरी सरकार द्वारा **नगरीय जनसंख्या को मूलभूत सुविधाएं** प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2000-2001 में प्राधिकरण सेवित नगरों में जल निकासी, मल निस्तारण, जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति तथा यातायात सुधार से संबंधित अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन योजनाएं तैयार करके उनका प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है।

भू-माफियों द्वारा सार्वजनिक भूमि पर किये गये अवैध कब्जों को हटाने के लिए मेरी सरकार द्वारा प्रदेश के सभी बड़े शहरों में अभियान चलाये गये है। विभिन्न शहरों में अतिक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी और 17.50 हेक्टेयर अतिक्रमण युक्त 17 करोड़ 45 लाख रुपये की भूमि खाली कराई गयी है।

नगरीय आवास कार्यक्रम

अनिश्चित आय वर्ग की आवासीय व्यवस्था हेतु संचालित **आश्रय योजना** के अन्तर्गत 1997-98 से लेकर नवम्बर, 2000 तक 53,019 आश्रय उपलब्ध कराये गये हैं। इसके अलावा **भाऊराव देवरस योजना** के अन्तर्गत नवम्बर, 2000 तक 29,288 भवन/भूखण्ड लघु एवं मध्यम आय वर्ग के लोगों को उपलब्ध कराये गये।

समाज के सभी वर्गों के साथ-साथ दलित एवं कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है।

6. सूचना प्रौद्योगिकी एवं विद्युत सुधार : एक नये युग की शुरूआत

सूचना प्रौद्योगिकी में नई योजनाएं

लोक कल्याण में कम्प्यूटर तथा इंटरनेट के उपयोग की दिशा निर्धारित करने में भी मेरी सरकार सफल रही है। संयुक्त क्षेत्र में **साफ्टवेयर टेक्नालोजी पार्कों** की स्थापना का जो कार्य शुरू किया गया है, उससे आम आदमी को दिन-प्रतिदिन के कार्यों में काफी सुविधा मिलेगी और इसी प्रकार **माइक्रोसाफ्ट** के साथ हुए समझौते से सरकारी काम-काज में पारदर्शिता बढ़ेगी। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आधुनिक कम्प्यूटर तकनीक के क्षेत्र में प्रदेश के युवकों ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचे मापदण्ड स्थापित किये हैं। हर्ष का विषय है कि **कर्नाटक के बाद उत्तर प्रदेश भारत का कम्प्यूटर साफ्टवेयर निर्यात करने वाला दूसरा बड़ा राज्य** बन गया है। देश के जाने-माने बड़े औद्योगिक समूहों द्वारा प्रदेश में आप्टिकल फाइबर केबिल का जाल बिछाने, प्रदेश को अलग बैण्ड विड्थ मिलने तथा प्रदेश में 10,000 इन्फारमेशन किओस्क स्थापित करने का सिलसिला शुरू हो रहा है। इस योजना के अन्तर्गत आने वाले अन्य औद्योगिक समूहों का भी स्वागत किया जायेगा। इससे प्रदेश का न केवल एक आधुनिक व उच्च तकनीकी स्वरूप विकसित होगा, वरन प्रदेश इस क्षेत्र में प्रतिभाशाली युवकों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने में भी सक्षम होगा।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं उस पर आधारित सेवाओं को प्रदूषण नियंत्रण एवं श्रम विभाग के नियमों से मुक्त कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी को हर तरह से प्रदूषण मुक्त उद्योग घोषित किया गया है। इस उद्योग के विशेष महत्व को दृष्टिगत रखते हुए इसे अविरल प्रक्रिया वाले उद्योग का भी दर्जा दिया गया है, ताकि यह विद्युत आपूर्ति के प्रतिबन्धों से मुक्त रह सके। मेरी सरकार का लक्ष्य है कि सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ आम जनता तक पहुंचाया जाये। शिक्षा के क्षेत्र में इसके विकास को बढ़ावा देने के लिए एक वृहद बनायी गयी है जिससे भविष्य में उत्तर प्रदेश में कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्र में दक्ष, प्रशिक्षित एवं सुयोग्य प्रतिभाओं की कमी नहीं रहेगी।

लोक सुविधाओं में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग

सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के लिए मेरी सरकार द्वारा 2,500 करोड़ रुपये की लागत से **नोएडा में हाइटेक पार्क की स्थापना प्रस्तावित है। आगरा में इन्फोटेक पार्क** की स्थापना की जा रही है। **ई–गवर्नेन्स हेतु साफ्टवेयर विकास** एवं परीक्षण के एक केन्द्र की स्थापना प्रस्तावित है तथा आगामी 10 **वर्षों में उत्तर प्रदेश को स्मार्ट स्टेट** के रूप में विकसित किया जायेगा।

लखनऊ, इलाहाबाद एवं गौतमबुद्धनगर के क्रम में कानपुर, आगरा एवं वाराणसी को स्मार्ट सिटी के रूप में परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है।

सरकारी काम-काज में पारदर्शिता

मेरी सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपलब्ध क्षमताओं का भरपूर उपयोग करने एवं सूचना प्रौद्योगिकी के विश्व मानचित्र पर सिलिकॉन वैली के रूप में स्थापित करने हेतु एक गतिशील, संवेदनशील एवं क्रियापरक सूचना प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा की गयी है। इसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा लखनऊ, आगरा, नोएडा एवं वाराणसी में टेक्नोलाजी पार्कों तथा इन्फारमेशन किओस्क की स्थापना की जा रही है। इससे जन साधारण द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग अपने कार्यों हेतु अधिक सुगमतापूर्वक किया जा सकेगा।

माइक्रोसाफ्ट इण्डिया तथा यू०पी० डेस्को के मध्य सूचना प्रौद्योगिकी के विकास हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। इससे सरकारी क्रियाकलापों में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकेगा। कानपुर में सूचना प्रौद्योगिकी माइक्रो विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

नोडल वेबसाइट

राज्य सरकार द्वारा सूचनाओं को जन-जन तक पहुंचाने की दिशा में **सूचना विभाग की वेबसाइट यू०पी० इनफो डाट ओ०आर०जी०** को नोडल वेबसाइट बनाया गया है, जिसके माध्यम से आसानी से उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बन्धित समस्त महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त हो सकेंगी।

राज्य के सामाजिक व आर्थिक विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका का महत्व समझाते हुए मेरी सरकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी में शोध और विकास को प्रोत्साहन दे रही है और विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के कार्यक्रम भी चला रही है। **आंचलिक विज्ञान केन्द्र, लखनऊ** को उच्चीकृत करके रीजनल **साइंस सिटी** का रूप देने तथा इलाहाबाद में विज्ञान नगरी की स्थापना के सम्बन्ध में भारत सरकार से आवश्यक सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। लखनऊ में भारत सरकार की सहायता से **बायोटेक्नोलाजी सिटी** की स्थापना का निर्णय भी मेरी सरकार ने लिया है।

ऊर्जा सुधार : एक नई दिशा

आज के युग में सर्वांगीण विकास के लिए ऊर्जा के महत्व से सभी परिचित हैं। मेरी सरकार ने **विद्युत क्षेत्र में व्यापक सुधार** के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। प्रदेश में विद्युत क्षेत्र के विनियमन और विकास के लिए उत्तर प्रदेश **विद्युत नियामक आयोग** को पूर्ण रूप से क्रियाशील किया जा चुका है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए विद्युत दरों का निर्धारण विद्युत नियामक आयोग ने ही किया है।

सुधार कार्यक्रम

प्रदेश में विद्युत की मांग एवं उपलब्धता के अन्तर को यथासंभव शीघ्र समाप्त करने के उद्देश्य से मेरी सरकार ने निजी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहित करने के विशेष प्रयास किये हैं। मेरी सरकार का यह भी प्रयास है कि प्रदेश के पुनर्गठन के कारण प्रदेश की जल विद्युत क्षमता में आयी कमी को पूरा करने के लिए प्रदेश में स्थित नहरों पर उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम द्वारा सार्वजनिक अथवा संयुक्त क्षेत्र में मध्यम एवं लघु जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित की जायें।

मैं माननीय सदस्यों को और उनके माध्यम से प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इन सुधारों की शुरूआत मेरी सरकार ने सही दिशा में सही नीयत के साथ की है और इन सुधारों का पूरा लाभ मिलने में समय लगेगा और इसके लिये माननीय सदस्यों तथा आम जनता का पूर्ण सहयोग राज्य सरकार को चाहिए और सुधारों के दौरान सभी को परिवर्तन की इस घड़ी में धैर्य रखना होगा।

उपभोक्ता सुविधाएं

प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को उत्तम गुणवत्ता की विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मेरी सरकार उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन को छोटी-छोटी कम्पनियों में विभाजित करके प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में छोटी वितरण कम्पनियां गठित करने की दिशा में भी गंभीरता से विचार कर रही है। इससे उन्हें दक्षतापूर्वक चलाने में सुविधा होगी और आवश्यकतानुसार व्यापक लोकहित में वितरण कम्पनियों का निजीकरण भी सुगम हो जायेगा। बिजली की चोरी रोकने के दृष्टि से कानून में संशोधन कर कठोर दण्ड की व्यवस्था की जा रही है। मेरी सरकार विद्युत क्षेत्र में कार्य करने वाले **कार्मिकों के हितों के प्रति भी पूर्णरूप से संवेदनशील** है। सरकार ने इस दिशा में प्रभावी कदम उठाते हुए यह निर्णय लिया है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के पुनर्गठन की तिथि 14 जनवरी, 2000 के पूर्व के पेंशन एवं ग्रेच्युटी संबंधी वित्तीय दायित्वों का वहन अब राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

वैकल्पिक ऊर्जा की संभावनाएं

मेरी सरकार वैकल्पिक ऊर्जा तकनीकों के त्वरित विकास और उनके प्रसार के लिए सचेष्ट है। मेरी सरकार द्वारा लघु जल विद्युत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सह-उत्पादन और नगरीय कूड़े-कचड़े पर आधारित परियोजनाओं की स्थापना मे निजी क्षेत्र की सहभागिता प्राप्त करने की दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं।

7. विकास के विविध आयाम : नवीन कदम

पर्यटन

विविधतापूर्ण पर्यटन आकर्षणों, अनूठी आध्यात्मिक–सांस्कृतिक परम्पराओं वर्ष पर्यन्त चलने वाली पर्यटन गतिविधियों की असीम संभावनाओं वाले इस राज्य को राष्ट्रीय–अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर प्रमुखता के साथ उभारने का यत्न किया जा रहा है। साथ ही पर्यटकों को केन्द्र बिन्दु मानकर पर्यटन उद्योग के विकास, धार्मिक, साहसिक एवं ऐतिहासिक पर्यटन के अवसर सृजित कर पर्यटकों को विशेष सुविधा और रोजगार के अवसरों में वृद्धि मेरी सरकार का परम लक्ष्य है। पर्यटन उद्योग में यात्रा व्यवसाय की भागीदारी कर गुणात्मक सुधार एवं प्रोत्साहन के लिये योजनाबद्ध पर्यटन विकास पर मेरी सरकार विशेष बल दे रही है।

प्रदेश में पर्यटन उद्योग के समन्वित एवं द्रुत विकास के उद्देश्य से **बुन्देलखण्ड परिपथ, ब्रज परिपथ, अवध परिपथ, विन्ध्य परिपथ व जल-विहार परिपथ** की संरचना करके उसके अनुरूप सम्पूर्ण प्रदेश में पर्यटन विकास के कार्यक्रम संचालित करने के विशेष प्रयास किये जा रहे हैं।

राष्ट्रीय–अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर राज्य की अलग और विशिष्ट छवि स्थापित करने के लिये मेरी सरकार ने भारतीय मूल के लगभग एक करोड़ अप्रवासी भारतीयों के लिए **''डिस्कवर योर रूट्स'', ''अपने पूर्वजों के बारे में** जानिये'' नामक एक अभिनव योजना भी शुरू की है । मेरी सरकार द्वारा उन अप्रवासी भारतीयों को, जिनके पूर्वज कभी उत्तर प्रदेश में रहे थे, उनके पूर्वजों के बारे में जानकारी और उनसे संबंधित सूचनाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है । भारतीय दर्शन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त योग को जीवन पद्धति के रूप में स्थापित करने के लिए मेरी सरकार द्वारा 'अन्तर्राष्ट्रीय योग महोत्सव' का आयोजन भी किया गया । इसके अलावा बुन्देलखण्ड को ''इन्द्र का देश'' के रूप में प्रचारित–प्रसारित करने की अनूठी योजना तैयार की गयी है ।

पर्यटकों की सुरक्षा के लिए मेरी सरकार आगरा, वाराणसी एवं लखनऊ में **पर्यटन पुलिस** की स्थापना कर रही है । बुन्देलखण्ड तथा विंध्य क्षेत्रों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के भी विशेष प्रयास किये जा रहे हैं ।

खेल प्रोत्साहन एवं युवा कल्याण

राज्य के नवयुवकों के स्वास्थ्य में सुधार लाने व उनके शारीरिक विकास के लिए मेरी सरकार व्यायामशालाएं स्थापित कर रही है । साथ ही मेरी सरकार ने विकास–खण्ड स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगता में खिलाड़ियों की भागीदारी सुनिश्चित कराई है । **शेरगढ़, नौशील, शामली व बड़हलगंज, के अर्द्धनिर्मित ग्रामीण स्टेडियमों** को पूरा कराया जा रहा है ।

भारत सरकार की **''खेल अवस्थापना के सृजन''** योजना के अन्तर्गत **इलाहाबाद के हंडिया एवं बारा विकास खंडों में मेरी सरकार द्वारा 38 लाख रुपये की धनराशि से खेल अवस्थापना** का सृजन किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण नवयुवक लाभान्वित होंगे ।

प्रदेश में बैडमिन्टन अकादमी की स्थापना के लिए मेरी सरकार ने 102.39 लाख रुपये की व्यवस्था की है ।

फिल्म उद्योग का विकास

प्रदेश में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मेरी सरकार एक उदार **फिल्म नीति** का अनुपालन कर रही है । इस नीति के अन्तर्गत फिल्म निर्माताओं को अनेक रियायतें और सुविधाएं दी जा रही हैं । इसके अतिरिक्त दूरदर्शन पर **'उत्तर प्रदेश इस सप्ताह'** कार्यक्रम में प्रदेश की प्रमुख उपलब्धियों का प्रसारण किया जा रहा है । यह कार्यक्रम बहुत शीघ्र ही रेडियो पर भी प्रसारित किया जायेगा । प्रदेश की फिल्म नीति को इस उद्योग के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श कर संशोधित किया गया है तथा फिल्म नीति के अनुपालन के लिए **''फिल्म बन्धु''** के गठन का निर्णय लिया गया है ।

पत्रकारों का कल्याण

इलाहाबाद में इस वर्ष महाकुम्भ के दौरान मीडिया को दी गई सुविधाओं के लिए भी मेरी सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा मिली है ।

मेरी सरकार ने डेस्क पर कार्यरत पत्रकारों को पहली बार मान्यता प्राप्त श्रमजीवी पत्रकारों की भांति सुविधाएं अनुमन्य करायी हैं। साथ ही **पत्रकारों की चिकित्सा-सुविधा** फिर से बहाल कर दी है। इसके अतिरिक्त रचनात्मक लेखन, उत्कृष्ट फोटोग्राफी, कार्टून तथा मीडिया से संबंधित ऐसे ही विशिष्ट क्षेत्रों में प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तरीय छः पुरस्कार स्थापित किये गये हैं।

संस्कृति का संवर्द्धन

मेरी सरकार के प्रयासों से लखनऊ के **भातखण्डे संगीत महाविद्यालय** को अब **डीम्ड विश्वविद्यालय** का दर्जा प्राप्त हो गया है। इससे संगीत की शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाया जा सकेगा। पिछले कई वर्षों से रुके उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के पुरस्कार वितरित किये गये हैं।

महाकुम्भ की व्यवस्था

यह अत्यन्त प्रसन्नता और संतोष की बात है कि मेरी सरकार के अथक प्रयासों से **इस सहस्त्राब्दि का प्रथम महाकुम्भ सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ**। कुम्भ के अवसर पर इस बार लगभग दस करोड़ भारतीय और 70,000 विदेशी पर्यटक प्रयाग आये, जो अपने आप में एक रिकार्ड है। इसके आयोजन हेतु **120 करोड़ रुपये** की व्यवस्था की गई। सम्पूर्ण मेला क्षेत्र व इलाहाबाद नगर में **200 से अधिक सड़कों का नवनिर्माण** एवं सौंदर्यीकरण कराया गया तथा संगम तट पर **15 पान्टून पुलों** का निर्माण तथा **80 किलोमीटर चेकर्ड प्लेट** सड़कों का निर्माण कराया गया है। जल निगम द्वारा **35 नये नलकूप** स्थापित कर **400 किलोमीटर लम्बी पाइप लाइन** बिछायी गयी तथा मोरी नाले, सलोरी नाले तथा घाघर नाले द्वारा जन्य प्रदूषण से **गंगा, यमुना को प्रदूषण मुक्त** रखा गया।

कुम्भ मेले में कल्पवासियों एवं तीर्थयात्रियों को **24 घंटे बिजली आपूर्ति** सुनिश्चित करने के लिए **35 सबस्टेशन, 450 किलोमीटर विद्युत लाइन, 15000 स्ट्रीट लाइट** तथा **65 हजार कैम्प कनेक्शन दिये गये। स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए 250 किलोमीटर पाइप लाइन बिछायी गयी** तथा **7 करोड़ लीटर क्लोरीन युक्त स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति** की गयी। परिवहन विभाग द्वारा महाकुम्भ मेले में आने वाले तीर्थ यात्रियों पर्यटकों और स्नानार्थियों का त्वरित आरामदायक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु **4000 बसों** की व्यवस्था की गई। प्रमुख कार्यक्रमों के **दूरदर्शन एवं आस्था चैनल पर सजीव प्रसारण** की व्यवस्था की गयी। पहली बार अत्याधुनिक संचार माध्यमों से सूचना विभाग द्वारा समाचार एवं फोटो प्रेषण की व्यवस्था दुनिया भर में सुनिश्चित की गई। **600 से अधिक मीडिया प्रतिनिधियों के आवास** तथा **250** पत्रकारों की क्षमता वाले प्रेस कांफ्रेंस हाल की व्यवस्था भी की गयी।

गुजरात भूकम्प त्रासदी में उत्तर प्रदेश द्वारा सहायता

26 जनवरी को गुजरात में भूकम्प की घटना से काफी लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हो गये। इस दुःखद घटना में हजारों व्यक्ति काल कवलित हुए, घायल हुए एवं बेघर हो गये। मेरी सरकार ने आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद **पांच करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता एवं राहत सामग्री** प्रदान की। **'मुख्यमंत्री पीड़ित राहत कोष'** के माध्यम से प्रदेश की जनता ने पांच करोड़ रुपये का सहयोग किया।

विभिन्न संस्थाओं, स्वयंसेवी संस्था एवं नागरिकों ने धनराशि के अतिरिक्त दवा एवं अन्य राहत सामग्री के माध्यम से सहयोग प्रदान किया । मेरी सरकार इस त्रासदी में किये गये सहयोग के लिए पूरे प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करती है ।

8. सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय : संकल्प

प्राथमिक शिक्षा

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मेरी सरकार अपने संवैधानिक दायित्व को पूर्ण करने के लिए कृत संकल्प है । भारत सरकार के सहयोग से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा सुलभ कराने के लिए प्रदेश स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान चलाने का कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है । विद्यालयों में नामांकनों की संख्या में वृद्धि करने के लिए पहली जुलाई से 15 जुलाई, 2000 तक व्यापक स्तर पर सक्रिय रूप से **"स्कूल चलो अभियान"** चलाकर **54 लाख 11 हजार अतिरिक्त बालक एवं बालिकाओं का विद्यालयों में नामांकन कराया गया** । इसी प्रकार का एक और अभियान माह सितम्बर में पुनः चलाया गया । प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के साथ-साथ सर्वसुलभ बनाकर अभिभावकों के सहयोग से यह प्रयास किया जायेगा कि आगामी सत्र से सभी बच्चे स्कूल जायं ।

प्रदेश के स्कूल में पढ़ने वाली कक्षा एक से पांच तक की समस्त परिषदीय विद्यालयों की बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचितजनजाति के बालकों को इस वर्ष **पाठ्य पुस्तकों का निःशुल्क वितरण** किया गया है । इस कार्यक्रम से **प्रदेश के 110 लाख बच्चे लाभान्वित** हुए हैं । साथ ही मेरी सरकार ने भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश में **शिक्षा गारण्टी योजना** तथा **वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा कार्यक्रम** संचालित करने का निर्णय भी लिया है ।

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिए **'शिक्षा मित्र योजना'** के अन्तर्गत लगभग 20 हजार शिक्षा मित्रों को संविदा पर रखे जाने की कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है ।

ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त **कक्षा-कक्षों के निर्माण की योजना** वर्ष 2000-2001 से प्रारम्भ की गयी है । इस योजना के अन्तर्गत आयोग द्वारा पांच वर्षों के लिए **111 करोड़ 33 लाख रुपये की संस्तुति** की गयी है । वर्ष 2000-2001 में 718 उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 1,724 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव है । वर्ष 2001-2002 में भी 360 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए भवन निर्माण तथा 862 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण कराया जायेगा ।

माध्यमिक शिक्षा

वर्ष 2000-2001 से ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास, कम्प्यूटर शिक्षा तथा ग्रामीण क्षेत्र के **राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण की एक महत्वाकांक्षी योजना** प्रारम्भ की गयी है, जिसके लिए मेरी सरकार ने **15 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था** की है ।

इण्टरमीडियट के पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया गया है, जिसके अन्तर्गत अब इण्टरमीडियट पाठ्यक्रम में केवल **तीन वर्ग—मानविकी वर्ग, वाणिज्य वर्ग तथा विज्ञान वर्ग ही सम्मिलित रहेंगे।**

परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण की नीति को संशोधित करते हुए संस्थागत बालिकाओं को स्वकेन्द्र की सुविधा दी गई है और व्यक्तिगत बालिकाओं को निकटस्थ विद्यालयों में परीक्षा देने की सुविधा प्रदान की गई है।

वित्तीय वर्ष **2000-2001** के लिए बालिका शिक्षा को और अधिक बल देने हेतु ऐसे विकास खण्डों को चिन्हित किया गया है, जिनमें पूर्व में केवल एक कन्या विद्यालय स्थापित था। इस वर्ष कुल **20 माध्यमिक कन्या विद्यालयों को नवीन योजना के तहत 20 लाख रुपये प्रति विद्यालय भवन निर्माण हेतु स्वीकृत** किये गये।

उच्च शिक्षा

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मेरी सरकार ने छात्र संघों में आई विकृतियों एवं विसंगतियों को दूर करने के उद्देश्य से छात्र संघ चुनाव के लिए अधिकतम आयु सीमा निर्धारित करते हुए प्रत्येक छात्र वर्ग के समुचित प्रतिनिधित्व का प्राविधान किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित **राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा 'नेट'** की भांति मेरी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा 'सेट' कराने का निर्णय लिया गया है। मेरी सरकार ने विश्वविद्यालयों के शैक्षिक सत्र को नियमित किया है। कला विषयो के पाठ्यक्रमों को अद्यावधिक किया गया है। परीक्षा पद्धति में सुधार के लिए प्रश्नपत्रों के प्रारूप में गुणात्मक सुधार लाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त **''स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों की स्थापना''** की योजना के अन्तर्गत नवीन महाविद्यालयों की स्थापना की जा रही है।

प्राविधिक शिक्षा

प्रदेश में सभी डिग्री स्तरीय प्राविधिक संस्थाओं को एक छत के नीचे लाने के उद्देश्य से **08** मई, **2000** को **उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय की स्थापना** की गयी है। विकलांगों को स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कानपुर में राष्ट्रीय स्तर की संस्था **डा० अम्बेडकर इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालोजी फार हैण्डीकैप्ड** की स्थापना की गयी है, जिसमें विशेष सुविधाओं के साथ **तीन पाठ्यक्रमों-कम्प्यूटर इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल असिस्टेन्टशिप और माडर्न आफिस मैनेजमेंट एण्ड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस में प्रशिक्षण** दिया जा रहा है। अब सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा को बढ़ाने के लिए निजी इंजीनियरिंग कालेजों को प्रोत्साहन दिया जायेगा एवं सरकारी कालेजों में इस हेतु सीटें भी बढ़ायी जायेंगी।

सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाएं

मेरी सरकार प्रदेश के नागरियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है प्रदेश की चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाओं में संरचनात्मक और गुणात्मक परिवर्तन करते हुए उसे संवेदनशील, सर्वसुलभ एवं समेकित सेवा के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से **विश्व बैंक द्वारा पोषित लगभग 580 करोड़ रुपये की पंचवर्षीय ''उत्तर प्रदेश हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट परियोजना'' प्रारम्भ** की गई

है । परियोजना को मानव संसाधन विकास के माध्यम से गरीबी उन्मूलन की रणनीति का एक मुख्य अंग बनाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य सेवाओं से सम्बन्धित बजट के अंश को वर्तमान में पूरे प्रदेश के बजट के **4.4 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्ष 2002-2003 तक 6.5 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य** है ।

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के बजट का **77** प्रतिशत व्यय वेतन की मद में होता है, जिसे वर्ष **2002-2003** तक **75** प्रतिशत एवं **2004-2005** तक **70** प्रतिशत तक करने का लक्ष्य रखा गया है । इससे दवाओं एवं अन्य अवैतनिक व्ययों के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध हो सकेगी । प्रदेश की गरीब जनता को यूजर चार्जेज से मुक्त रखते हुए साधन सम्पन्न लोगों से यूजर चार्जेज प्राप्त करके स्वास्थ्य सेवाओं को स्ववित्तीय पोषण पूरक बनाये जाने के उद्देश्य से **यूजर चार्जेज की नयी व्यवस्था लागू** की गई है । यूजर चार्जेज से प्राप्त धनराशि का **50** प्रतिशत भाग सम्बन्धित इकाई द्वारा अपने विवेकानुसार चिकित्सालय सुधार एवं सेवा सुधार के लिए उपयोग करने की व्यवस्था की गई है ।

उत्तर प्रदेश हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट परियोजना के माध्यम से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में मार्च, 2002 तक कम्प्यूटरीकृत वित्तीय प्रबन्धन व्यवस्था एवं स्वास्थ्य प्रबन्धन सूचना व्यवस्था के प्रयास किये जाने का प्राविधान है ।

मेरी सरकार द्वारा मानसिक रोगियों के पुनर्वास हेतु **आगरा तथा लखनऊ में हाफ–वे होम की स्थापना** एवं प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्रति सप्ताह दो दिन विशेषज्ञों की तैनाती का निर्णय लिया गया है ।

निर्बल वर्गों का विशेष ध्यान

समाज के कुछ वर्ग विकास की दौड़ में सबसे अधिक पिछड़ गये हैं और आज निर्बल-वर्ग कहलाते हैं । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निराश्रित, वृद्ध एवं असहाय श्रेणी के लोगों के समग्र उत्थान के लिए मेरी सरकार कटिबद्ध है और अपने इस सामाजिक दायित्व की पूर्ति के लिए शैक्षिक व आर्थिक उत्थान कार्यक्रम तथा सामाजिक सहायता कार्यक्रम चला रही है ।

अनुसूचित जाति कल्याण

मेरी सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के **छात्रों को लगभग 82 करोड़ रुपये की छात्रवृत्तियां वितरित** की गयी हैं । अत्याचार के शिकार एवं उत्पीड़ित **4,892** व्यक्तियों को लगभग **783** लाख रुपये की धनराशि दी गयी है । साथ ही **8** लाख **38** हजार **125** वृद्धों एवं किसानों को **75** लाख **44** हजार रुपये की पेंशन दी गयी है ।

मेरी सरकार द्वारा वर्ष **2000-2001** में अनुसूचित जाति के **गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को लगभग 20 करोड़ 31 लाख रुपये का अनुदान, लगभग छः करोड़ बारह लाख रुपये मार्जिन मनी ऋण तथा लगभग 38 करोड़ रुपये बैंक ऋण के रूप में उपलब्ध कराकर स्वरोजगार उपलब्ध कराया गया है** । जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए चलाई जा रही स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत **2,083** परिवारों को वर्ष **1999-2000** में लाभान्वित किया गया तथा चालू वित्तीय वर्ष के लिये **2,100** का भौतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

मेरी सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों में छात्रवृत्ति या अन्य अनुदान की राशियों के दुरुपयोग के मामलों को अत्यन्त गम्भीरता से लिया है और **266** मामलों में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने, **34** व्यक्तियों के विरुद्ध वसूली तथा **45** संस्थाओं की मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही की गयी है तथा इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार निवारण हेतु **27** अधिकारियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किये गये हैं तथा **62** अधिकारी एवं कर्मचारी निलम्बित किये गये हैं । मेरी सरकार कृत संकल्प है कि अपने सीमित संसाधनों में कमजोर वर्गों को प्रोन्नति का अवसर उपलब्ध कराने के लिए दिये गये अनुदान का दुरुपयोग करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जाये ।

अल्पसंख्यक कल्याण

मेरी सरकार द्वारा अल्पसंख्यक छात्रों को पिछले वित्तीय वर्ष में **106.40** करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति दी गई और **317** अरबी, फारसी मदरसों को अनुदान सूची पर लिया गया । इसके साथ ही **180** विद्यालयों को अल्पसंख्यक संस्था घोषित किया गया । **मदरसों के आधुनिकीकरण की योजना** के अन्तर्गत अब तक **735** मदरसों का आधुनिकीकरण किया जा चुका है । शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में तीन करोड़ **75** लाख रुपये की लागत से **14** छात्रावासों एवं दो विद्यालयों का निर्माण किया गया है ।

अल्पसंख्यक समुदाय, जिसमें अधिकांश आबादी मुस्लिम वर्ग की है, में शिक्षा के प्रति विशेष रुचि पैदा करने के लिए उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए कक्षा एक से कक्षा **10** तक के **अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को छात्रवृत्ति की योजना** से लाभान्वित किया जाता है । चालू वित्तीय वर्ष में इस समुदाय के लगभग **31** लाख बच्चों को छात्रवृत्ति दिये जाने का लक्ष्य है ।

हज यात्रा पर जाने वाले समस्त हज यात्रियों का बीमा करा दिया गया है और उनसे सम्बन्धित समस्त अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत कराया गया है ।

महिला एवं बाल कल्याण

मेरी सरकार महिला कल्याण और बाल विकास के प्रति सतत् प्रयत्नशील है । वर्ष **1984** के सिख विरोधी दंगों के परिणामस्वरूप विधवा हो गई महिलाओं के पुनर्विवाह एवं दंगा पीड़ितों की पुत्रियों के विवाह हेतु पीड़ित गरीब परिवारों के लिये पांच लाख रुपये का अनुदान मेरी सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है । **दंगा पीड़ित महिलाओं को देय 100 रुपये प्रतिमाह की सहायता राशि को बढ़ाकर 125 रुपये प्रतिमाह किया गया है । निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण हेतु विधवा पेंशन प्राप्त करने के लिए निर्धारित 225 रुपये प्रतिमाह की आय सीमा को बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है ।** इस प्रकार अब गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही सभी विधवाओं को मेरी सरकार ने पेंशन की पात्रता में सम्मिलित कर लिया है ।

विकलांग कल्याण

मेरी सरकार द्वारा **निराश्रित विकलांगों को भरण-पोषण अनुदान योजना की निर्धारित आय सीमा 225 रुपये प्रतिमाह के स्थान पर 1000 रुपये** कर दी गई है और अब गरीबी के रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले **विकलांग व्यक्तियों को 125 रुपये प्रतिमाह प्रति लाभार्थी** की दर से अनुदान दिया जा रहा है ।

मेरी सरकार द्वारा विकलांगों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों से यात्रा करने विषयक नियमावली सरलीकृत करके सहयोगी सहित यात्रा अनुमन्य कर दी गयी है।

बुनकर कल्याण

उत्तर प्रदेश के लिए रोजगार उपलब्ध कराने व ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण करने में **हथकरघा उद्योग** बहुत महत्वपूर्ण हैं। देश के लगभग एक चौथाई अर्थात् 7 लाख 10 हजार बुनकर और 2 लाख 33 हजार हथकरघे इसी प्रदेश में हैं। इस उद्योग के उन्नयन और बुनकरों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए मेरी सरकार भारत सरकार के सहयोग से कई योजनायें चला रही है। प्रदेश में बुनकरों को नवीनतम डिजाइनें उपलब्ध कराने के लिए एक **वेबसाइट** भी विकसित करने की योजना है।

विश्व व्यापार संगठन की आगामी योजनाओं को देखते हुए प्रदेश के बुनकरों को नवीन डिजाइनें उपलब्ध कराकर और आधुनिकतम तकनीक की जानकारी देकर उन्हें विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने के कदम उठाये जायेंगे।

ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ती हुई बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगार युवकों का शहरों की ओर पलायन को ध्यान में रखते हुए गांव में स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मेरी सरकार ने जिला सेक्टर के अन्तर्गत पूंजी निवेश करके ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामोद्योग की इकाइयां स्थापित करने के **लिए 'ब्याज उपादान योजना'** प्रारम्भ की है। इस योजना के अन्तर्गत बैंकों से दो लाख रुपये तथा पूंजी निवेश इकाइयों हेतु ऋण स्वीकृत कराकर 4 प्रतिशत से अधिक ब्याज की धनराशि उपादान के रूप में जिला सेक्टर से अनुमन्य की जाती है। वर्ष **2000-2001 में ब्याज उपादान योजना के अन्तर्गत 12 करोड़ रुपये की पूंजी विनियोग से 900 इकाइयां स्थापित करके 3,600 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।**

श्रमिक कल्याण

प्रदेश के श्रमिकों को अधिक व बेहतर रोजगार प्रदान करने की दिशा में मेरी सरकार द्वारा दिल्ली से विस्थापित होने वाली इकाइयों को नोयडा तथा ग्रेटर नोयडा में स्थापित किये जाने की व्यवस्था की जा रही है। **ग्रेटर नोयडा की निर्यात संवर्द्धन पार्क योजना** में कार्यरत और अपने उत्पादन का कम से कम 33 प्रतिशत निर्यात करने वाले उद्योगों को **'लोक उपयोगी सेवा'** घोषित किया गया है। प्रदेश में अन्य स्थानों पर कार्यरत ऐसे उद्योगों को, जो अपने उत्पादन का कम से कम **50** प्रतिशत निर्यात करते हैं, उन्हें भी **'लोक उपयोगी सेवा'** घोषित कर दिया गया है।

प्रदेश के इतिहास में पहली बार बरेली में श्रम पंचायत का आयोजन करके मेरी सरकार ने श्रमिकों की समस्याओं और शिकायतों के निराकरण का गम्भीर प्रयास किया है। बाल श्रम उन्मूलन एवं पुनर्वासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मेरी सरकार ने **2 करोड़ 15 लाख रुपये की धनराशि से जनपद बल श्रम पुनर्वास एवं कल्याण निधि की स्थापना की है।**

वीर सैनिकों का सम्मान

देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों के प्रति हम सभी कृतज्ञ हैं। मेरी सरकार ने **शहीद सैनिकों के परिवार के बच्चों के लिए स्नातक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था** की है। भूतपूर्व सैनिकों को **391 सस्ते गल्ले की** दुकानें **तथा 80 गैस एवं पेट्रोल पम्प आवंटित** किये गये हैं।

9–पारदर्शी कार्यप्रणाली, स्वच्छ तथा संवेदी प्रशासनः निश्चय

जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से विशाल उत्तर प्रदेश उपजाऊ भूमि, जल स्रोत ओर पशु धन सम्पदा जैसे प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। विश्व का प्रत्येक छठवां व्यक्ति भारत में निवास करता है और प्रत्येक छः भारतीयों में एक उत्तर प्रदेश का निवासी है। प्रचुर प्राकृतिक सम्पदा और विशाल मानव संसाधन के बावजूद सामाजिक आर्थिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश की गिनती देश के कम विकसित राज्यों में होती है। प्रदेश का आर्थिक तथा सामाजिक विकास हम सबके सामने कठिन चुनौती है। मेरी सरकार राजस्व स्रोतों-संसाधनों को बढ़ाने, उनका विकास की योजनाओं में श्रेष्ठतम रूप से प्रयोग करने व अनावश्यक खर्चों में कटौती के अनेक उपाय कर रही है।

सुधार कार्यक्रम : एक यथार्थ

मेरी सरकार वर्तमान स्थिति में सुधार लाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। वर्ष **1999-2000** का बजट राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में उठाया गया पहला कदम था। इन सुधारों में ऊर्जा सुधार प्रमुख था। पिछला वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि उस वर्ष में संविधान के **73वें, 74वें** संशोधन का अमली जामा पहनाकर विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया पूर्णतया लागू की गयी। पिछले वर्ष राज्य सरकार ने भारत सरकार की पहल पर मध्यकालिक वित्तीय सुधार नीति तैयार की और सिविल सेवाओं, प्रशासनिक सुधार तथा सार्वजनिक उपक्रम से सम्बन्धित अन्य प्रपत्र राज्य विधान मण्डल के समक्ष लाये गये।

वित्तीय सुधार

वित्तीय सुधारों का दीर्घकालिक उद्देश्य विकास-परक राजस्व तथा सरकारी व्यय के क्षेत्र में सुधार लाना है। इसके अधीन कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये हैं जिनमें गत वर्ष विधान मण्डल में वित्तीय सुधारों पर नीति विषयक पत्र प्रस्तुत किया जाना, प्रत्येक वर्ष उच्च प्राथमिकता वाले विकास पर आने वाले व्यय को सुरक्षित रखा जाना, मध्यकालिक व्यय हेतु रणनीति तैयार किया जाना, **कोषागारों के कार्यकलापों को वर्ष 2000-2001 में कम्प्यूटरीकृत किया जाना वर्ष 2001-2002 में पेंशन तथा भविष्य निर्वाह निधि के क्षेत्र में सुधार आरम्भ किया जाना** तथा **बजट लेखा तथा व्यय प्रबन्धन कार्य को 2002-2003 तक पूरी तरह कम्प्यूटरीकृत** किया जाना प्रमुख रूप से सम्मिलित हैं।

व्यापार कर की नयी व्यवस्था

मेरी सरकार द्वारा राजस्व प्राप्ति के क्षेत्र में उठाये गये कदमों की दीर्घकालिक उद्देश्य राज्य के राजस्व आधार को बढ़ाना है। कर ढांचे को सरल तथा युक्तिसंगत बनाना और सार्वजनिक तथा निजी सेवाओं को तर्कसंगत बनाना भी इसके महत्वपूर्ण बिन्दु हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए व्यापार कर की 17 दरों को कम करके 11 कर दिया गया है और कर चोरी रोकने के लिए व्यापार कर अधिनियम को संशोधित कर दिया गया है। इसके अनिवार्य कर के दायरे से अभी तक बाहर रहने वाले बड़े करदाताओं की पहचान के लिए सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया जा चुका है।

राजस्व बढ़ाने के लिए कई वस्तुओं पर प्रवेश कर लगाया गया है। कर माफी को समाप्त किया जा रहा है। व्यापार कर प्रशासन में सुधार हेतु इसका पुनर्गठन, आधुनिकीकरण तथा कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जा रही महत्वमपूर्ण **सेवाओं, यथा, सिंचाई, उच्च शिक्षा, चिकित्सा आदि के यूजर चार्जेज में अभि नवीनीकरण किया जा रहा है। यूजर चार्जेज** को बढ़ाये जाने के फलस्वरूप वर्ष **1999-2000** में वर्ष **1998-99** की अपेक्षा **138** करोड़ रुपये का अधिक राजस्व सरकार को प्राप्त हुआ है।

प्रशासनिक सुधार

मेरी सरकार ने **सिविल सेवाओं के क्षेत्र में में भी सुधार कार्यक्रम** बनाकर इसे लागू करने की पहल की है। इसके अन्तर्गत राज्य सरकार के सभी विभागों की समीक्षा की जा रही है और उन्हें युक्तिसंगत बनाये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं ताकि उनकी दक्षता में वृद्धि की जा सके। इसे ध्यान में रखते हुए **35 प्रमुख विभागों में नीति नियोजन प्रकोष्ठ** बना दिये गये हैं। इन प्रकोष्ठों की बैठक तीन माह में एक बार होती है। अब तक इन प्रकोष्ठों द्वारा **38 समीक्षाएं** पूरी की जा चुकी हैं। इसी प्रकार तकनीकी कार्यदल का गठन भी किया गया है। विभागों को युक्तिसंगत बनाने का कार्य चरणबद्ध ढंग से अक्टूबर, 2001 से प्रारम्भ हो जायेगा और इसे दिसम्बर, 2004 तक पूरा कर लिया जाएगा।

अगले पांच वर्षों तक प्रति वर्ष सिविल सेवाओं के आकार में दो प्रतिशत की कमी की जाएगी जिससे सेवाओं की गुणवत्ता में वांछित सुधार हो सकेगा। इसका मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन प्रबन्धन में सुधार लाते हुए तेजी से फैल रहे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध मेरी सरकार द्वारा निर्धारित **रणनीति के अन्तर्गत एक कार्य योजना** बनायी गयी है ताकि **स्टाफ बजट, संगठनात्मक ढांचे, नियमों आदि का परीक्षण** किया जा सके और राजस्व व्यय तथा नियामक दायित्वों वाले विभागों के लिए **भ्रष्टाचार निरोधक रणनीति** अपनाई जा सके। अधिकारियों को जनता के निकट जाकर संवेदनशीलता से उनकी समस्याओं को समझकर उसका तात्कालिक निस्तारण किये जाने के भी विस्तृत निर्देश दिये गये हैं, जिनमें **तहसील दिवस, थाना दिवस** के अतिरिक्त **गांवों का भ्रमण तथा रात्रिकालीन गश्त है।**

मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि मेरी सरकार ने प्रशासनिक एवं वित्तीय सुधारों का जो सिलसिला शुरू किया था अब वह मूर्तरूप ले चुका है। राज्य सरकार ने अनुत्पादक व्यय में कटौती का जो प्रयास किया था उसके बाद अब पदों की उपयोगिता का भी आकलन किया जा रहा है और दो प्रतिशत पद प्रतिवर्ष कम किये जाने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार आय में वृद्धि के जो प्रयास किये गये हैं, उनके परिणामस्वरूप करों के रूप में राजस्व प्राप्तियां दो हजार करोड़ रुपये बढ़ी है। भारत सरकार से प्राप्त होने वाली सहायता में हुई वृद्धि तथा कृषि और ग्राम्य विकास जैसे क्षेत्रों में केन्द्रीय योजनाओं में मिलने वाले अतिरिक्त राजस्व से मुझे विश्वास है कि मेरी सरकार प्रदेश की **अर्थव्यवस्था को घाटे और असहाय स्थिति से बाहर लाने में इस वर्ष सफल** होगी।

सूचना का अधिकार

राज्य सरकार अपने नागरिकों को **सूचना का अधिकार** देने के लिए कृत संकल्प है। इसके लिए प्रथम चरण में इसके लिये कई विभागों में **सिटीजन चार्टर** लागू कर दिये गये हैं और सरकारी प्रपत्रों को प्राप्त करने के लिये नियम बना दिये गये हैं। प्रत्येक विभाग से कहा गया है कि वह अपने संगठनात्मक ढांचे, स्टाफ, वार्षिक बजट, विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही शासनादेशों की सूची आदि को प्रदर्शित करे। विभागों को जनता की शिकायतें दूर करने के निर्देश दिये गये हैं।

सार्वजनिक उपक्रमों में सुधार कार्यक्रम

सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण का उद्देश्य निजी क्षेत्र के साथ दौड़ में पीछे रह गये सार्वजनिक उपक्रमों को बन्द करके अथवा विनिवेश करके लोगों को अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसे प्राप्त करने के लिए **सार्वजनिक उद्यम सुधार नीति** को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसके तहत **विनिवेश आयोग कार्यकारी समिति** का गठन कर दिया गया है। घाटे वाले सार्वजनिक उपक्रमों को बन्द करने अथवा उनके विक्रय के लिए विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित कर ली गई है। घाटे वाले तीन सार्वजनिक उपक्रमों को विनिवेश करके बन्द किया जा चुका है। इसी प्रकार 14 अन्य उपक्रमों को विनिवेश आयोग को सन्दर्भित करने का फैसला शीघ्र कर लिया जाएगा।

चालू वित्तीय वर्ष में मेरी सरकार ने चीनी निगम की घाटे में चलने वाली 11 मिलों, वस्त्र निगम की पांच मिलों और यू०पी०आई०एल० मुख्यालय, राज्य खनिज विकास निगम, पशुधन उद्योग निगम, पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम को बन्द करके उनके कार्मिकों को यथोचित धनराशि का भुगतान करते हुए इनकी परिसम्पत्तियों के निस्तारण का लक्ष्य रखा है। इन सभी संस्थानों के कार्मिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें **स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना** आदि के अन्तर्गत देयों का भुगतान किया जा रहा है।

स्टाम्प शुल्क में राहत

सम्पत्तियों के हस्तान्तरण व अन्य प्रकार के लेख-पत्रों के पंजीकरण को सरल बनाने व भ्रष्टाचार को दूर करने के उद्देश्य से रजिस्ट्री कार्यालयों का चरणबद्ध रूप से कम्प्यूटरीकरण किये जाने का निर्णय लिया गया है। किसानों को राहत देने के लिए एक लाख रुपये के फसली ऋणों के बन्धक विलेखों पर **अब स्टाम्प शुल्क मात्र एक सौ रुपये कर दिया गया है। "स्वर्ण जयन्ती आवास योजना" व "दुर्बल वर्ग आवास योजना"** में गरीब तबके के लाभार्थियों को भी स्टाम्प शुल्क में छूट दी गई है।

मनोरंजन उद्योग को प्रोत्साहन

सिनेमा उद्योग के प्रसार के लिए मेरी सरकार द्वारा सिनेमा पर लगने वाले **मनोरंजन कर की दर 100 प्रतिशत से घटाकर 60 प्रतिशत किये जाने की एक ऐसी योजना** लागू की गई है, जिससे कर की दर में की गई कमी का लाभ सीधे दर्शकों तक पहुंचेगा। नये छविगृहों के निर्माण को प्रोत्साहन देने की एक ऐसी योजना भी इस वर्ष लागू की गई है, जिसके अन्तर्गत कतिपय नियंत्रणों के अधीन **एक लाख तक जनसंख्या** वाले क्षेत्रों में **पांच वर्ष तक शत-प्रतिशत** तथा **एक लाख से अधिक जनसंख्या** वाले क्षेत्रों में **तीन वर्ष तक शत-प्रतिशत** व **दो वर्षों तक 50 प्रतिशत तक मनोरंजन कर में छूट देने की व्यवस्था** की

गई है। मेलों व प्रदर्शनियों में लगने वाले **झूलों और मोबाइल मनोरंजन पार्कों को मनोरंजन कर से मुक्त** कर दिया गया है। मल्टीप्लेक्स के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए नगर निगमों, नोयडा व ग्रेटर नोयडा के क्षेत्रों के बाहर पांच किलोमीटर तक की परिधि में निर्मित होने वाले नये **मल्टीप्लेक्सों को तीन वर्ष के स्थान पर पांच वर्ष तक मनोरंजन कर में छूट** दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रदेश की जनता को **स्वच्छ, पारदर्शी, संवेदनशील एवं प्रभावी प्रशासन उपलब्ध कराना** मेरी सरकार की प्रतिबद्धता है और जनसमस्याओं में से अधिकांश का जनपद स्तर पर ही त्वरित एवं प्रभावी निराकरण करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इसके लिए **जनता अदालत** एवं **तहसील दिवस** की व्यवस्था जारी रखी गई है। अब जनसमस्याओं के शीघ्र निस्तारण के लिये जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक टीम का गठन किया गया है, जिसमें संबंधित विभागों के अधिकारी लोक अदालत की भांति जनसमस्याओं का निस्तारण करेंगे। पारदर्शी एवं संवेदनशील प्रशासन

मेरी सरकार द्वारा समस्त विभागाध्यक्षों, मण्डलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि किसी भी स्तर पर किसी मामले के अंतिम निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब न किया जाय और एक स्तर पर सात दिन से अधिक विलम्ब प्रतिवेदित किये जायें। प्रत्येक प्रशासनिक स्तर पर संवेदनशीलता हो तथा अधीनस्थ कार्यालयों के कार्यों में निस्तारण के पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं अनुसरण की सम्यक् व्यवस्था हो।

प्रशासन को दक्ष, प्रभावी, सत्यनिष्ठ, निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठापरक तथा जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से मेरी सरकार ने **उत्तर प्रदेश लोक सेवा सुधार नीति** बनायी है, जिसका उद्देश्य लोक सेवकों में नई कार्य-संस्कृति का विकास करना है।

वास्तव में त्वरित न्याय ही वास्तविक न्याय है, अतः लम्बित वादों के शीघ्र निस्तारण के लिए मेरी सरकार ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के दस न्यायालय स्थापित किए हैं। इसके अतिरिक्त आगरा, इलाहाबाद, बरेली, गाजियाबाद, गाजीपुर, कानपुर, मेरठ तथा वाराणसी में स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम के मामलों के लिए एक-एक न्यायालय और आयुर्वेद घोटाले से संबंधित वादों के निस्तारण के लिए **अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश का एक विशेष न्यायालय स्थापित** किये गये हैं। त्वरित न्याय

मेरी सरकार प्रदेश के कारागारों में निरुद्ध बन्दियों के सुरक्षित रख-रखाव के साथ उन्हें नैतिक एवं कार्यात्मक शिक्षा व प्रशिक्षण प्रदान करते हुए उनके अपराध बोध व अपराध की मानसिकता को न्यूनतम स्तर पर लाना चाहती है। हम चाहते हैं कि पथ से विचलित हुए समाज के इन सदस्यों के आचरण एवं व्यवहार में अपेक्षित सुधार करके उन्हें समाज एवं राष्ट्र की मुख्य धारा मे सम्मिलित किया जाये, ताकि वे कारागारों से रिहाई के बाद राष्ट्र और समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकें। बन्दी सुधार

कारागार की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कारागारों में प्रवेश के समय समस्त आगन्तुकों की तलाशी व्यवस्था सुनिश्चित करने और संचार की आधुनिक वस्तुओं को निषिद्ध वस्तुओं को श्रेणी में रखने हेतु सौ वर्ष पुराने जेल मैनुअल के सुसंगत प्रस्तरों में भी मेरी सरकार आवश्यक संशोधन कर रही है।

राजस्व प्रशासन का सुदृढ़ीकरण

पारदर्शिता की नीति को मूर्तरूप देने तथा प्रशासन का जन सामान्य से सीधा संवाद सुनिश्चित करने की दृष्टि से मेरी सरकार ने राजस्व अभिलेखों में समय-समय पर होने वाले परिवर्तनों को ग्राम प्रधान के स्तर पर खुली बैठक में प्रस्तुत करने एवं कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज करने के निर्देश दिये हैं। **राजस्व प्रशासन के सुदृढ़ीकरण तथा अभिलेखों के उचित रख-रखाव के उद्देश्य से भू-चित्रों के डिजिटाइजेशन एवं भू-लेखों के कम्प्यूटरीकरण की कार्यवाही** तत्परता से की जा रही है।

नई आबकारी नीति

मेरी सरकार द्वारा **आबकारी नीति** में व्यापक परिवर्तन किया गया है। शीरे का **90 प्रतिशत उत्पादन नियंत्रण मुक्त** कर दिया गया है और **एक अप्रैल, 2001 से शत-प्रतिशत नियंत्रण समाप्त करने का निर्णय** लिया जा चुका है। **शीरे पर से मूल्य-नियंत्रण भी समाप्त कर दिया गया है।** इससे गन्ना किसानों को लाभकारी मूल्य और समय से भुगतान तो सुनिश्चित होगा ही, साथ ही वास्तविक उपभोक्ता जिस चीनी मिल से चाहें शीरा क्रय कर सकते हैं।

आबकारी विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यों में पारदर्शिता लाने एवं राजस्व की वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मदिरा व्यवसाय के संबंध में **वर्ष 1910 से चली आ रही ठेकेदारी प्रथा को समाप्त** करके मेरी सरकार ने **नई लाइसेन्स व्यवस्था के आधार पर निर्धारित लाइसेन्स प्रणाली द्वारा मदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन का निर्णय** लिया है। इससे प्रदेश के राजस्व संसाधनों में वृद्धि के साथ-साथ मदिरा व्यवसाय में चला आ रहा एकाधिकार समाप्त होगा। वर्तमान वर्ष में **लाइसेंसिंग प्रणाली लागू करते हुए बियर की दुकानें स्थापित करके इस एकाधिकार पर प्रहार** किया जा चुका है।

समन्वित, समृद्ध, सुशिक्षित एवं सुविकसित उत्तर प्रदेश

माननीय सदस्यगण, विश्व के सभी राष्ट्र और समाज किसी ऐतिहासिक क्षण या नये युग के आरम्भ में अपने लिये भविष्य का स्वप्न देखते हैं और उसे साकार करने के लिये आवश्यक संकल्प ले कुछ मूलभूत सिद्धान्त तय करते हैं और तब निर्धारित दिशा में गन्तव्य की ओर आगे बढ़ने और निर्धारित लक्ष्यों के संधान का सतत् प्रयास करते हैं।

मेरी सरकार ने **अर्थ-व्यवस्था को विकास का आधार मानते हुए इस क्षेत्र में सुधार की शीघ्र पहल** की। फलस्वरूप इसके सुपरिणाम दिखाई देने लगे हैं। वित्तीय अनुशासन एवं कुशल वित्तीय प्रबन्धन के साथ-साथ राज्य के कर संसाधनों में वृद्धि करने तथा प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर कड़ी नजर रखने एवं अनुत्पादक राजस्व व्यय को नियंत्रित करने के निर्देश दिये गये हैं। **आज सुनियोजित एवं बेहतर प्रबन्धन, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शी प्रशासन, भ्रष्टाचार पर अंकुश तथा जवाबदेही पर जोर दिये जाने से बहुमुखी विकास का एक नया वातावरण सृजित हुआ है।**

मेरी सरकार का मानना है कि **उपलब्धियों का आंकलन आंकड़ों के आधार पर नहीं, अपितु जनता की भावनाओं के आधार पर** किया जाना चाहिए। मेरी सरकार का स्पष्ट मत है कि किसानों और गांवों की समस्याओं का हल किये बगैर प्रदेश के चतुर्दिक विकास का सपना कभी पूरी नहीं हो सकता है। **अतः प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था के लिए कृषि और उससे जुड़े अन्य सवालों पर मेरी सरकार ने अपना ध्यान केन्द्रित किया है तथा कृषकों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने का निर्णय लिया है।**

देश की सर्वाधिक जनसंख्या वाले प्रदेश ने अब विकास के नये दौर का अनुभव किया है। **आज उत्तर प्रदेश को कई मामलों में देश में प्रथम होने का गौरव प्राप्त है। समृद्धि और उन्नति को दृष्टिगत रखते हुए शासन ने पूंजी का प्रवाह गांव की ओर मोड़ने का संकल्प लिया है।** इसी क्रम में **पंचायती राज संस्थाओं को सत्ता के विकेन्द्रीकरण का आधार मानते हुए सक्षम और सुदृढ़ बनाया** गया है तथा **पंचायतों को अधिक वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार देने** का निर्णय लिया गया है। स्थानीय आवश्यकताओं और समस्याओं की तरफ ध्यान देकर मेरी सरकार ने जनता के प्रति अपनी सदाशयता, प्रतिबद्धता और समग्र विकास की सोच का सुखद आभास दिया है।

मेरी सरकार ने विकास और कल्याणकारी योजनाओं के साथ-साथ उद्योगों के विकास पर प्रमुखता से ध्यान देते हुए नयी ऊंचाइयों को छुआ है। परिणामस्वरूप प्रदेश में **पूंजी निवेश एवं संसाधन के विकास का अवसर मिला है तथा यह प्रदेश औद्योगिक विकास के क्षेत्र में एक नयी पहचान बनाने के मार्ग पर अग्रसर है।**

विकास की आधुनिक दृष्टि का परिचय देते हुए मेरी सरकार द्वारा **सूचना प्रौद्योगिकी** पर विशेष ध्यान दिया गया है।

माननीय सदस्यगण मैंने आपके समक्ष अपनी सरकार की प्रमुख नीतियों और कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की है। विधान मण्डल के इस सत्र में आपके समक्ष बजट प्रस्तुतीकरण के अवसर पर वर्तमान कार्यक्रमों की उपलब्धियों और नये कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी का एक और अवसर उपलब्ध होगा। विगत सत्र के बाद मैंने कुछ अध्यादेश प्रख्यापित किये हैं, जिनके प्रतिस्थानी विधेयक और कुछ अन्य विधेयक भी इस सत्र में प्रस्तुत किये जायेंगे, जिन्हें पारित करने की आपसे अपेक्षा की जायेगी।

सर्वे भवन्तु सुखिनः का दर्शन मेरी सरकार के कार्यक्रमों का सार संक्षेप है। प्रदेशवासियों का जीवन स्तर सुधरे और नयी सहस्राब्दि में ज्ञान-विज्ञान से भरपूर सुखी जीवन हेतु हम उनका मार्ग प्रशस्त कर सकें, यही मेरी सरकार का प्रयास है।

अपना अभिभाषण समाप्त करने के पहले मैं आपको यह स्मरण दिलाना चाहूंगा कि प्रदेश का विकास राजनीति से ऊपर है। लोकतंत्र का भविष्य बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हम और आप जनता के बीच और जनता के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने कार्य और आचरण से दूसरों के लिये अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तथा **सदन की उच्च गरिमा और पवित्रता को सदैव बनाये रखेंगे**। मुझे विश्वास है कि **आपके विचार-विमर्श में सदैव गम्भीरता निःस्वार्थ सेवा और लोक कर्तव्यों के प्रति निष्ठा परिलक्षित होगी।**

[जय हिन्द !]

मैं आपको अपने कर्तव्यों के सम्यक् निर्वहन हेतु श्री सुमित्रा नन्दन पन्त जी की इन पंक्तियों के साथ आहूत करता हूं –

उच्च उड़ान नहीं भर सकते,
तुच्छ बाहरी चमकीले पर।
महत् कर्म के लिये चाहिये,
मत् प्रेरणा बल भी भीतर॥

[जय हिन्द]

(श्री राजाराम पाल एवं श्री सतीश जतारिया आदि विपक्ष के कुछ सदस्य मेजों पर हाथ में नारे लिखी तख्तियां और बैनर लेकर चढ़ गये और नारे लगाने लगे जिससे घोर व्यवधान जारी रहा)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 2000†

संसदीय कार्य स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 2000 को, सदन के पटल पर रखता हूं।

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2000†

संसदीय कार्य स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2000 को, सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 2000†

संसदीय कार्य स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 2000 को, सदन के पटल पर रखता हूं। (विपक्ष के कुछ सदस्य रिपोर्टर्स की टेबुल पर चढ़ गये और नारे बाजी करने लगे जिससे घोर व्यवधान बना रहा)

---

† छापे नहीं गये।

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2000†

संसदीय कार्य स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2001 को, सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अध्यादेश, 2001†

संसदीय कार्य स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अध्यादेश, 2001 को, सदन के पटल पर रखता हूं।

(श्री उदय राज यादव ने रिपोर्टर्स टेबिल पर खड़े-खड़े नारे लगाये तथा सदन में विपक्ष के कतिपय सदस्यों ने अपने आसनों पर खड़े होकर बैनर दिखाये जिससे घोर व्यवधान जारी रहा)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपना अपना आसन ग्रहण करिये।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (आप्टिकल फाइबर बिछाने और उनका अनुरक्षण करने के लिये अनुमति) अध्यादेश, 2001†

संसदीय कार्य स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (आप्टिकल फाइबर बिछाने और उनका अनुरक्षण करने के लिये अनुमति) अध्यादेश, 2001 को, सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) अध्यादेश, 2001†

संसदीय कार्य स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) अध्यादेश, 2001 को, सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 2001†

संसदीय कार्य स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 2001 को, सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 2001†

संसदीय कार्य स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 2001 को, सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 2001†

संसदीय कार्य स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 2001 को, सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2001†

संसदीय कार्य स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश व्यापार कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2001 को, सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अध्यादेश, 2001†

संसदीय कार्य स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अध्यादेश, 2001 को, सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 2001†

संसदीय कार्य स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 2001 को, सदन के पटल पर रखता हूं।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का वित्त लेखे वर्ष 1999-2000, उत्तर प्रदेश सरकार तथा विनियोग लेखे वर्ष 1999-2000 उत्तर प्रदेश सरकार 2001††

संसदीय कार्य स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का वित्त लेखे वर्ष 1999-2000, उत्तर प्रदेश सरकार तथा विनियोग लेखे वर्ष 1999-2000 उत्तर प्रदेश को भारत का संविधान के अनुछेद 151(2) के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश चल चित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2000†

सचिव, विधान सभा—

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिये प्राप्त, उत्तर प्रदेश चल चित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2000, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विनियोग (2000-2001 का अनुपूरक) विधेयक, 2000

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि :–

1 उत्तर प्रदेश विनियोग 2000-2001 (का अनुपूरक) विधेयक, 2000 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 23 अक्टूबर, 2000 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 24 अक्टूबर, 2000 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 31 अक्टूबर, 2000 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2000 का उत्तर प्रदेश का अट्ठाइसवां अधिनियम बन गया।

---

†† छापा नहीं गया।

† छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) विधेयक, 2000

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) विधेयक, 2000 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 19 अक्टूबर, 2000 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 23 अक्टूबर, 2000 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 29 अक्टूबर, 2000 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2000 का उत्तर प्रदेश का उन्नीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000

सचिव, विधान सभा

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000 पर जिसे, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपने दिनांक 20अक्टूबर, 2000 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 23 अक्टूबर, 2000 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 31 अक्टूबर, 2000 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2000 का उत्तर प्रदेश का बीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (निरसन) विधेयक, 2000

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश हिन्दू धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (निरसन) विधेयक, 2000 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 20 अक्टूबर, 2000 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 23 अक्टूबर, 2000 के उपवेशन में पारित किया था, राजयपाल महोदय की अनुमति दिनांक 31 अक्टूबर, 2000 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2000 का उत्तर प्रदेश का इकतीसवां अधिनियम बन गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् विधेयक, 2000

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद्, 2000 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक 23 अक्टूबर, 2000 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 24 अक्टूबर, 2000 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 31 अक्टूबर, 2000 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2000 का उत्तर प्रदेश का बत्तीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2000

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2000 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 23 अक्टूबर, 2000 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 24 अक्टूबर, 2000 की

बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 31 अक्टूबर, 2000 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2000 का उत्तर प्रदेश का तैंतीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल (अध्यापिका और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) विधेयक, 2000

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) विधेयक, 2000 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 20 अक्टूबर, 2000 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 23 अक्टूबर, 2000 के उपवेशन में पारित किया था राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 31 अक्टूबर, 2000 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2000 का उत्तर प्रदेश का चौतीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2000 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 23 अक्टूबर, 2000 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 24 अक्टूबर,2000 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 31 अक्टूबर, 2000 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2000 का उत्तर प्रदेश का पैंतीसवां अधिनियम बन गया।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1999

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1999 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 14 जुलाई, 1999 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 जुलाई, 1999 के उपवेशन में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 05 दिसम्बर, 2000 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2000 का उत्तर प्रदेश का छत्तीसवां अधिनियम बन गया।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 19 मार्च, 2001 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 20 मार्च, से 22 मार्च, 2001 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :–

मार्च, 2001

---

20 मंगलवार 11.00 बजे पूर्वाह्न

राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष श्री राज्यपाल का अभिभाषण।

12.30 बजे अपराह्न

(1) श्री राज्यपाल के अभिभाषण का पढ़कर सुनाया जाना।

मार्च, 2001

(2) औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अभिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन आदि यदि कोई हो ।

1.00 बजे अपराह्न

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतीकरण ।

21 बुधवार — निधन के निर्देश (प्रश्नकाल न हो तथा नियम 51, 56, 300, 301 एवं 311 की सूचनाएं न ली जायं ।)

22 गुरुवार — (1) वित्तीय वर्ष 2000-2001 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार एवं मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, उन पर विचार एवं उसका पारण ।

(2) 3.00 बजे अपराह्न

(1) वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण ।

(2) वित्तीय वर्ष 2001-2002 के एक भाग के लिये लेखानुदान का प्रस्तुतीकरण ।

(3) वित्तीय वर्ष 2001-2002 के एक भाग के लिये लेखानुदान के प्रस्ताव पर विचार, मांगों पर मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

(4) विधायी कार्य ।

(5) नियम 103 के अन्तर्गत एक घण्टे की चर्चा हेतु स्वीकृत :–

(क) श्री बाल चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित निम्नलिखित चर्चाधीन प्रस्ताव पर अग्रतर चर्चा–

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश के भू-गर्भ जल स्तर में हो रही गिरावट पर नियंत्रण हेतु भू-गर्भ विशेषज्ञों की एक स्थायी समिति गठित की जाय ।"

(ख) डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित निम्नलिखित चर्चाधीन प्रस्ताव पर अग्रतर चर्चा–

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एक समान नीति बनायी जाय तथा उसे बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों पर कड़ाई से लागू किया जाय ।"

(ग) डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी तथा श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा अभिसूचित निम्नलिखित चर्चाधीन प्रस्ताव पर अग्रतर चर्चा–

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि पोलीथीन बैग्स के कारण जन-स्वास्थ्य पर मंडराते खतरे एवं पशुओं द्वारा उसे खा लिये जाने के कारण उत्पन्न लाइलाज बीमारी को देखते हुए प्रदेश में इसके उत्पादन और प्रयोग पर तत्काल पाबन्दी लगायी जाय ।"

उत्तर प्रदेश विधान सभा

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001†

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2001†

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करता हूं।

---

† दिनांक 27 अप्रैल, 2001 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

† दिनांक 30 मार्च, 2001 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को 12.59 तक स्थगित करता हूं।

(सदन में निरन्तर व्यवधान जारी रहा। व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 12 बजकर 42 मिनट पर सदन की कार्यवाही 12 बजकर 59 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी।

12 बजकर 59 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः प्रारम्भ हुई।)

(श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही समाजवादी पार्टी व बहुजन समाज पार्टी के सदस्यगण वेल में आकर नारे लगाने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान के मध्य)

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण

श्री अध्यक्ष–

मैं मद संख्या–26 ले रहा हूं।

वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी")–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 2000-2001 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों के विवरण संबंधी प्रतियां सभी माननीय सदस्यों को वितरित की जायें।

(द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों के विवरण की प्रतियां वितरित की गयी)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अपना स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान जारी)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही कल दिनांक 21-3-2001 को 11.00 बजे तक के लिये स्थगित करता हूं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 01 बजकर 02 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 20 मार्च, 2001

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

पी०एस०यू०पी०–एल०–76 विधान सभा (119)–2002–813 (डी०टी०पी०)।